



केनरा ज्योति

अंक : 32

अप्रैल-जून, 2022



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आत्मनिर्भर भारत



आत्मनिर्भर
भारत

केनरा
ai

डिजिटल बैंकिंग

वाल् खाता बचत खाता



कासा

अभियान

जन समर्थ पोर्टल



जन समर्थ पोर्टल

अब एक ही जगह सारी सरकारी
योजनाओं की मिलेगी जानकारी

केनरा बैंक

Canara Bank



भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can



दिनांक 25 जून, 2022 को तिरुवंतपुरम में आयोजित राजभाषा अधिकारियों के 40वें अखिल भारतीय सम्मेलन का द्विप प्रज्वलन कर औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री देवाशीष मुखर्जी, साथ में मानव संसाधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री शंकर एस. एवं महाप्रबंधक श्री कल्याण मुखर्जी भी उपस्थित हैं।



दिनांक 25 जून, 2022 को अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु की ओर से एक नारा तैयार किया गया जिसका विमोचन माननीय मंचासीन द्वारा किया गया।



श्री एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



श्री शंकर एस.
मुख्य महाप्रबंधक



श्री रवि सुधाकर
महाप्रबंधक



श्री ई. रमेश
सहायक महाप्रबंधक

संपादक

श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक

संपादन सहयोग


श्री जी. अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री एन.एस. ओमप्रकाश, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री मयंक पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री डी. बालकृष्ण, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री विजय कुमार, अधिकारी

बिक्री के लिए नहीं

प्रकाशन : केनरा बैंक,
राजभाषा अनुभाग,
मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय
112, जे.सी. रोड,
बेंगलूरु - 560 002
दूरभाष : 080-2223 9075
वेबसाइट :
www.canarabank.com

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

पत्रिका में अभिव्यक्त विचार लेखकों
के अपने हैं। केनरा बैंक का उनसे
सहमत होना ज़रूरी नहीं है।



विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश 2

मुख्य संपादक का संदेश 3

सब कुछ ठीक है (कॉलेज का पहला दिन) 4

स्फूर्ति 6

नानी की गौरी 8

माँ!.. ईश्वर की कोई फरियाद 11

स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका 12

फूल खिलेंगे गुलशन-गुलशन 15

बैंकिंग कारोबार में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता 16

बैंकिंग उद्योग का भविष्य 18

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्रृंखला : 22

डिजिटल बैंकिंग में हिन्दी का प्रयोग - संभावनाएं एवं चुनौतियां 27

'आजादी का अमृत महोत्सव': जन समर्थ पोर्टल 31

आत्मनिर्भर भारत - अवसर, चुनौतिया एवं सफलता 33

सरल हिंदी 37

कार्यक्षेत्र में उचित शारीरिक मुद्रा और व्यवहार 39

स्वाधीन भारत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्वप्न 43

आयकर : वर्तमान परिपेक्ष्य में 46



प्रि य केनराइट्स!

भावों के विभिन्न रंगों को समेटे हुए केनरा बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका केनरा ज्योति के 32वें अंक को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज यह पत्रिका केनरा बैंक में उन सभी लोगों के लिए सशक्त माध्यम बन गई है जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में करना चाहते हैं। इस अंक में राजभाषा गतिविधियों के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित प्रमुख बातों सहित आलेख, कविता, हास्य प्रधान, बैंकिंग विषय एवं अनेक विधाओं को समाहित किया गया है।

आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है जो कि पूरे देश को एक के सूत्र में बाँधती है। भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार-प्रसार प्रेरण एवं प्रोत्साहन पर आधारित है। जिसे ध्यान में रखकर विभिन्न गतिविधियाँ, समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में देखा जाए तो अखंड भारत में एकता और प्रेम का मार्ग केवल हिंदी के माध्यम से ही ज्यादा सशक्त और प्रशस्त हो सकता है। इसकी सार्वजनिक उपयोगिता और महत्ता का इस बात से पता चलता है कि हिंदीतर प्रदेश के निवासी एवं विचारकों ने इसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। आज दक्षिण भारत के चार राज्यों में हिंदी का जो सफल लेखन, पठन और अध्यापन हो रहा है उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' और 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा' जैसी अनेक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के पूर्व भी इसे देश के कोने-कोने में जानने, समझने और बोलने वाले थे।

भाषा जोड़ने का काम करती है यह देखना सुखद होगा कि आने वाले समय में आप सभी हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ पाते हैं। जब हम ग्राहकों को उनकी भाषा में बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं तो हम उनके साथ एक आत्मीय संबंध बनाने में भी कामयाब होते हैं। जिससे हमारे कारोबार में वृद्धि भी होती है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दिनांक 25 जुलाई, 2022 को घोषित हमारे बैंक के जून तिमाही के नतीजे पर आप सभी ने एक नजर अवश्य डाली होगी। इस बार हमारे बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 19 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है जो 11.45% की वृद्धि है। हमारे बैंक के सकल अग्रिम में 14.47% की वृद्धि हुई है और बैंक का शुद्ध लाभ ₹ 2022 करोड़ का हुआ है, परिचालन लाभ ₹ 6606 करोड़ पर रहा जबकि इसमें 20.53% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के गैर-ब्याज आय में 24.55% की वृद्धि हुई है। इस बार तो बैंक ने स्वर्ण ऋण के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1 लाख करोड़ के जादुई आकेड़ को भी पार किया है। हमारी मंजिल यहीं नहीं रुकती, हमें और भी दूरियां तय करनी हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी पूरी तनमयता से इसमें अपना योगदान देंगे।

इस पत्रिका का प्रकाशन एक सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास है और इस पत्रिका के निरंतर प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

एल वी प्रभाकर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,

आप सभी को केनरा ज्योति का यह अंक सौंपते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। केनरा ज्योति के बतौर मुख्य संपादक के तौर पर यह मेरा पहला अनुभव है, परंतु इस पत्रिका से मेरा संबंध परोक्ष रूप से बहुत पुराना रहा है। गत वर्ष इस पत्रिका को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ है जो कि हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। आगे भी इस पत्रिका को इस श्रेणी में इसी प्रकार से पुरस्कार एवं सम्मान मिलता रहे, इसके लिए हमारी पूरजोर कोशिश जारी रहेगी।

राजभाषा कार्यान्वयन सभी सरकारी कार्यालयों का दायित्व है। इसी दायित्व के साथ राजभाषा के प्रचार व प्रसार में केनरा बैंक देश के विकास व प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। भाषा समाज का समन्वय सूत्र है जिससे समाज समंजित एवं संगठित है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज का एक सजीव सदस्य बनता है। भाषा रुपी सूत्र न हो तो व्यक्ति और समाज विश्रुंखल हो जाए। सामाजिक दृष्टि से भी भाषा का सर्वाधिक व्यवहार भाव-संप्रेषण में होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति भाषा द्वारा ही अपने भावों और विचारों का आदान-प्रदान करता है। यही सामाजिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया व्यक्ति और समाज को जोड़कर राष्ट्र की एकता का निर्माण करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे समारोह की शुरुआत भी की गई। आज अपनी सहजता एवं सरलता के कारण ही सभी बैंक अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार, गुणवत्ता आदि के लिए हिंदी को ही अपना रहे हैं।

'केनरा ज्योति' को और अधिक ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद एवं पठनीय बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बैंकिंग विधा के विभिन्न सोपान पर कार्य कर रहे हमारे साथीगण भी अपना योगदान इस पत्रिका के लिए रचना के माध्यम से करें। इस अंक के प्रकाशन में हमारा यह भी प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक अंचल से प्राप्त लेखों को समाहित किया जाए जिससे कि सभी अंचल कार्यालय के योगदान को रेखांकित किया जा सके। आशा है यह अंक आप सभी को पसंद आएगा एवं इस पत्रिका को सामग्री प्रधान एवं बहुपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

आपका,

ई रमेश

सहायक महाप्रबंधक

सब कुछ ठीक है (कॉलेज का पहला दिन)

वै से तो किसी भी नए परिवेश में बिताया हुआ पहला दिन हर व्यक्ति को याद होता है। ये स्मृतियां इतनी अनमोल होती हैं कि हम वर्षों तक इन्हें याद कर इन लम्हों में फिर से जीने की इच्छा जागृत हो जाती है।

हम दोस्तों के कॉलेज का पहला दिन ऐसी ही कुछ यादों का गुलदस्ता सा महसूस होता है। 12वीं की कड़ी मशकत के बाद आखिरकार हम चार दोस्तों में, मन्दू, राजेश और ऋषि को शहर के इकलौते छोटे से कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। शहर के इस इकलौते कॉलेज को सभी छात्रों की पढ़ाई दो सत्रों में करनी पड़ती थी सुबह का सत्र सुबह 5:00 से सुबह 11 और दूसरा सत्र सुबह 11 से शाम का 5 तक होता था। हमें सुबह के सत्र में दाखिला मिला। अपने-अपने घरों से हमारा कॉलेज करीब 8 कि.मी. दूर था और हम साइकिल पर ही निकल पड़े। उस सुबह शायद हम जीवन का पहला सूर्योदय साथ में देख रहे थे। कालेज में घुसते ही हमें अहसास हो गया कि अगले 3 साल हम क्या-क्या करने वाले हैं। कालेज के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक तालाब जिसके किनारों पर पेड़ लगे थे, मानो चीख-चीख कर कह रहा हो कि गर्मियों में हमारा पांचवें दोस्त यही होंगे। एक किताब की दूकान जिसका नाम चीप स्टोर था, पर किताबों की कीमतें बाजार से डेढ़ गुना। हम सब का मिजाज वेसे ही खुशनुमा हो गया था।

कालेज के पहले दिन नोटिस बोर्ड पर सबसे पहली क्लास हिंदी की थी। उत्साह से भरपूर हम तीनों क्लास की कुल 6 पंक्तियों में से ठीक तीसरी पंक्ति में बीच की ओर बैठ गए ताकि न शिक्षक की नजर हम पर पड़े और न हम तक पहुंचना शिक्षक के लिए आसान हो। न सवालियों का जवाब देना पड़े और न शर्मिंदा होना पड़े। खैर वह पल भी आ गया जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। शिक्षक कक्षा में घुसे और हम तीनों का कॉलेज में पढ़ाई का सपना शुरू हो चुका था। शिक्षक महोदय ने बड़ी ही नम्रता और दुलार के साथ सबसे अपना परिचय प्रस्तुत करने को कहा। सभी ने अपना-अपना परिचय दिया और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। चूंकि कॉलेज बंगाल में था और हम सभी भी बंगाली भली भांति जानते थे तो कई बार कई विषयों की पढ़ाई शिक्षक बंगला में ही पढ़ाना शुरू करते थे ताकि सभी छात्रों को समझने में आसानी हो। हालांकि हम हिंदी पढ़ने आए थे किंतु हमने महसूस किया कि शिक्षक महोदय ने शुरुआत बंगला में की और कुछ ऐसे कवियों का परिचय कराने लगे जिनसे हमारा दसवीं और बारहवीं



बिनय कुमार मिश्रा
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा

की हिंदी कक्षाओं में कभी परिचय नहीं हुआ। न निराला, न दिनकर, न प्रेमचंद हमें लगा हो सकता है कि ग्रेजुएशन की हिंदी में कुछ नए कवियों और लेखकों के बारे में बताया जाएगा। कक्षा के 15 मिनट बीत गए हिंदी का नामोनिशान नहीं। हिंदी की कक्षा में और शिक्षक महोदय के मुखारविंद से एक हिंदी के शब्द को तरसते हम अब अपना धैर्य खो रहे थे। शिक्षक महोदय धाराप्रवाह बंगला बढाते जा रहे थे और बांग्ला भाषा के ऐसे ऐसे शब्दों से हमारा परिचय करा रहे थे कि सारी बातें क्रिकेट की बाउंसर गेंद की तरह हमारे सर के ऊपर से जा रही थी। हिंदी विषय की पढ़ाई बंगला में करने वाले हम शायद विश्व के पहले छात्र खुद को महसूस कर रहे थे। लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि महोदय से पूछे कैसे कि हिंदी की कक्षा में वह हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे। आखिरकार हमारे मित्र मंटू ने हिम्मत दिखाई और पूछा – सर क्या हम आज की कक्षा का विषय जान सकते हैं। इतना पूछते ही मानो पूरी क्लास हमारी ओर यूं घूरने लगी जैसे हम एलियन हों। शिक्षक महोदय ने पिछले आधे घंटे में पहली बार आखिरकार हिंदी के कुछ शब्द कह ही दिए – तुम किस क्लास में आए हो? हमने कहा हिंदी की कक्षा में। शिक्षक महोदय मुस्कराए और बोले कौन से कक्ष में चल रही है? पता है? हमने कहा – हां 15ए इतना सुनते ही शिक्षक महोदय ठहाके मार के हंसे और बोले यह 15बी है और तुम इतनी देर से बंगला की कक्षा में बैठे हो। अब तो सारे सहपाठी भी जोर-जोर से हंसने लगे। हंसी तो हमारी भी नहीं रुकी पर लज्जा के मारे हम वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर तेजी से 15ए की तरफ भागे।

चलो पहले दिन की पहली कक्षा हमारे लिए काफी हास्यास्पद हो चुकी थी। अगली कक्षा अर्थशास्त्र की थी, जो हम में से किसी का भी

पसंदीदा विषय कभी नहीं था। हमारी तकनीक अभी भी वही थी जो पहली कक्षा में थी। हमने फिर से कक्षा के ठीक बीचों बीच अपना बस्ता रखा और ये कोशिश की कि शिक्षक महोदय हमें न देख पायें न पहुंच पायें। लेकिन उस दिन अहसास हुआ कि क्यों शिक्षकों को गुरुजी कहा जाता है। मांग और आपूर्ति पर कक्षा में सबसे पहला प्रश्न राजेश से पूछा गया। राजेश की तरफ इशारा होते ही मित्र ने सबसे पहले पीछे की तरफ देखा मानो प्रश्न राजेश के पीछे बैठे छात्र से हुआ हो। पर किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अब मजबूरी में राजेश ने जैसे जैसे उत्तर निपटाया ही था कि अगला प्रश्न डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर मुझसे पूछा गया। इस प्रश्न से मैं उतना ही सहज था जितना उन दिनों शोएब अख्तर की गेंदों से उस समय के बल्लेबाज हुआ करते थे। उस प्रश्न का उत्तर न मेरे पास था न मेरे अन्य तीन दोस्तों के पास मैं जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उठा, इतने में गुरुजी ने वो शब्द कहे, वो हम दोस्तों के पसंदीदा शब्द बन गए – आप सब पिछली सीखी हुई बातों को भूल जाइये, हम नये सिरे से शुरू करेंगे। कक्षा में इस समय सबसे ज्यादा खुश हम थे। क्योंकि पिछला कुछ खास हमें वैसे भी याद नहीं था।

अब 2 कक्षाओं के बीच 45 मिनट का विराम था हम अब पहुंचे अल्पाहार के लिए और वहां से सीधे उस पार्क की ओर गए जो कॉलेज के ठीक सामने था। पता चला पार्क में एंट्री के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। 35 मिनट काटना था और हमने सोचा पहले ही दिन पार्क प्रवेश भी कर लिया जाए।

टिकट की जिम्मेदारी हमारे अलबेले मित्र मन्टू को दी गई। मन्टू काउंटर पर गया और उसने बोला चार दे दो। काउंटर वाले शाख्स ने मन्टू को घूर कर देखा, मानो मन्टू ने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। खैर मन्टू को उसने टिकट दिए और 80 रुपये मांगे। मन्टू ने काउंटर के आगे का बोर्ड घूरा जो कि अभी भी प्रति व्यक्ति 10 रुपये बड़ी मासूमियत से दर्शा रहा था। खैर पहली बार पार्क घूमने की ललक में 80 रुपये की टिकट लेकर विजयी मुस्कान के साथ हमारी तरफ आया और बोला मिल गई टिकट। हमने सोचा कि हम तो 4 हैं फिर 8 टिकट क्यों दिए काउंटर बाबू ने। खैर हमें लगा पार्क के अंदर भी कोई पार्क होगा और वहां फिर से यही टिकट लगेगी, यानि हर व्यक्ति के लिए दो टिकट लेना अनिवार्य होगा। खैर हमने गेटकीपर की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए और डरते डरते टिकट आगे किए। गेटकीपर ने चार टिकट फाड़े और बाकी चार हमें वापस देते हुए बोला जा सकते हो। अंदर पहुंचते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि पार्क हमारी अपेक्षाओं से काफी अलग था। पार्क के हर कोने में सीमेन्ट की



बेंचों में मात्र दो लोगों के ही बैठने की व्यवस्था थी। हम चारों को साथ बैठने के लिए, अब सिर्फ पार्क की हरी हरी घास का आसन ही बचा था। हम कतई अनाड़ी से हाव-भाव वाले 4 लड़कों को देखकर तो मानों पार्क की उन तंग बेंचों में मौजूद युवक युवतियों के रंग में भंग पड़ गया हो। हमें अब सब कुछ समझ में आ गया था कि 4 टिकट मांगने पर गुरु जी ने हमें 8 टिकट क्यों दिए और घूर क्यों रहे थे। बिना वक्त गंवाए, हम वहां से भी नौ दो ग्यारह हो गए।

कॉलेज की पहले दिन की छुट्टी से पहले शायद और भी कुछ रोमांचक होना बाकी था। उन दिनों मोबाइल होना बड़ी बात मानी जाती थी। खैर हम में से एक ऋषि, मोबाइल लेने को आतुर था और सहपाठियों से बातचीत के दौरान पता चला रेलवे स्टेशन के पास छात्रों के लिए सस्ती दरों में बीएसएनएल का सिम मिलता है। इतना सुनते ही ऋषि कॉलेज के ठीक बाद जा पहुंचा रेलवे स्टेशन। अति उत्साह में ऋषि, सीधे रेलवे टिकट काउंटर में ही उसने पूछ डाला – बीएसएनएल की सिम कितने की मिलेगी। इतना सुनते ही टिकट काउंटर बाबू आश्चर्य और गुस्से से इतना भर गए कि कुछ बोलने के बजाय इशारा करके पास के बीएसएनएल ऑफिस का दरवाजा दिखाया। ऋषि अब समझ चुका था कि उसने गलत सवाल गलत बंदे से गलत जगह पूछ लिया है और गलत पते पर आ पहुंचा है। ऋषि सर झुकाए सीधे बीएसएनएल के ऑफिस की तरफ भागा। इसके बाद ऋषि, रेलवे पूछताछ खिड़की के आस पास भी नहीं फटका।

कालेज की ऐसी कई स्मृतियां आज भी गुदगुदाती हैं और अहसास भी दिलाती हैं कि जिंदगी के सबसे संजीदा और गंभीर दौर में भी हमने इन सारी खुशियों का लुत्फ उठाना कभी बंद नहीं किया और ये साबित किया कि भले ही जीवन में कुछ बनने की एक अघोषित दौड़ का हम हिस्सा हैं पर तनाव के बावजूद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है।

लघु-कथा

स्फूर्ति

यह एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव की कहानी है। चारों तरफ खेत खलिहान से भरा एक सुन्दर गाँव मानो कुदरत की गोद में ठंडक का साया हो। खेती वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। लोग खेती के काम से खुश थे। लेकिन उनका गाँव छोटा था, तो सभी के लिए रोज़गार मिलना मुश्किल था। इसलिए लोग नज़दीक के शहर में नौकरी करने जाया करते थे।

उनके गाँव से शहर तक पहुँचने के लिए पहाड़ी, जंगल और नदी पार करना पड़ता था। वह भी बहुत ही मुश्किल के साथ लोग आया-जाया करते थे। जंगल का मार्ग होने के कारण कई जंगली जानवरों का भी खतरा रहता था। नदी पार करने के लिए पुल भी नहीं बना था। लेकिन उनके गाँव से शहर के लिए पहाड़ी के एक भाग से लंबा मार्ग बन सकता था जिससे लोगों को शहर जाने में आसानी होती।

कई सरकारें बदलीं, कई नेता प्रतिनिधि बदल लेकिन किसी ने भी गाँववालों की अर्ज़ी पर नज़र नहीं डाली। लोग फिर भी अर्ज़ी देते रहें और वही पहाड़, जंगल और नदी पार कर शहर में रोज़गार की तलाश में जाते रहते थे।

उन्हीं में से एक था बालण्णा। वे उसी गाँव में अपनी बेटी स्फूर्ति और पत्नी प्रेमा के साथ रहते थे। उनकी बेटी स्फूर्ति बहुत ही समझदार और अच्छे दिल की थी। उसका वाक्चातुर्य से गाँववाले भी हैरान रहते थे। यही नहीं वह पढ़ने में भी होशियार थी। इसलिए स्फूर्ति के व्यक्तित्व से उसके अध्यापक भी अत्यंत प्रभावित थे।

एक दिन बालण्णा शहर में काम के सिलसिले में गये थे। स्फूर्ति अपने स्कूल में थी। दोपहर का समय था। स्फूर्ति की माँ खेती का काम कर घर वापस आकर भोजन के बाद झपकी ले रही थी। उसे नींद आ गई। बाहर अच्छी हवा चल रही थी। धीरे-धीरे हवा तेज़ होने लगी। उनकी झोंपड़ी के चूल्हे में अभी भी धीमी आग जल रही थी। अचानक आए तूफान ने प्रेमा की साड़ी में उनके चूल्हे से अंगारे फैल गए। आग लग गई। वह चीखने लगी। लोग दौड़ आए। प्रेमा को जलता देख लोग आस-पास के कुए से पानी लाकर उसे बुझाने लगे। लेकिन तब तक वह आधे से ज्यादा जल चुकी थी। जैसे-तैसे करके गाँववालों ने उसे शहर के अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन मार्ग के मध्य में ही उसने आखिरी सांस ली।



रंजित ससिहितलु
अधिकारी
अंचल कार्यालय, मंगलूरु

जब स्फूर्ति और बालण्णा वापस आए तो उन्हें प्रेमा की लाश ही देखने को मिली। सभी लोग बालण्णा और स्फूर्ति के दुःख में शरीक हुए। तभी किसी ने बोला कि, अगर सड़क होती तो आज प्रेमा ज़िन्दा होती। तभी कोई दूसरा बोला, प्रेमा ही क्या, आज हमारे गाँव के बहुत से लोग ज़िन्दा होते और हमारा गाँव भी विकसित होता।

यह बातें स्फूर्ति ने सुनी। माँ की तेरहवीं पर जब फिर से गाँव वाले इकट्ठा हुए तो स्फूर्ति ने कहा- हम सब मिलकर फिर से सरकार के प्रतिनिधि को पत्र लिखेंगे। किसी ने उसकी नहीं सुनी।

लेकिन हमारी नन्हीं स्फूर्ति हार माननेवालों में से नहीं थी। उसने स्कूल में अपने अध्यापक की सहायता से खुद अपने नन्हें हाथों से पत्र लिखा। वह उस पत्र के जवाब का इंतज़ार करती रही। उसके पिताजी भी इसी आस में बैठे थे। महीनों बीत गए, फिर से सरकार बदली, लेकिन उसकी अर्ज़ी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

तभी स्फूर्ति एक दिन गाँववालों से बोली कि आइए, हम सब साथ मिलकर सरकार के प्रतिनिधि के घर के सामने जाकर सत्याग्रह करें। वह बोली कि गांधीजी ने भी अनशन एवं सत्याग्रह की राह पर चलकर ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। आज भी किसी भी गाँववालों ने उसकी नहीं सुनी।

स्फूर्ति ने हार नहीं मानी। वह अकेले जनप्रतिनिधि के घर के सामने जाकर बैठ गई। दो दिन बीत गए। अपनी बेटी का हट एवं सद्भावना देख बालण्णा भी उसके साथ जाकर धरने पर बैठ गए। कुछ दिन बीत गए, धीरे-धीरे पत्रकर्ताओं की नज़र इन बाप-बेटी पर पड़ी। वे



समाचार लेने के लिए आ पहुँचे। कुछ ही दिनों में यह सामाचार गाँववालों के पास भी पहुँचा तो उन्हें अपने किए पर दुःख हुआ। सभी गाँववाले भी स्फूर्ति के पास पहुँचे और उसके सत्याग्रह में भरपूर साथ दिया।

यह समाचार और आग पकड़ने लगा। मीडिया में टॉक शो होने लगे। जनता सरकार पर 'हाय-हाय' करने लगी। तत्काल सरकार जाग उठी। गाँव के जन प्रतिनिधियों को खूब सुनना पड़ा। ऐसी नौबत आई कि सड़क बनाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था।

सरकार ने तत्काल आदेश दिया कि गाँव में नई सड़क और नदी पार करने के लिए भी अलग से पुल भी बनाया जाए। देखते ही देखते दोनों काम हो गए। सरकार ने उस नन्हीं सी स्फूर्ति की इच्छा-शक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने गाँव के सड़क को उसी का नाम रखा 'स्फूर्ति मार्ग'।

अब भी गाँव के लोग उसको याद करते हैं। आज स्फूर्ति उसी के गाँव की अध्यक्षा है। स्फूर्ति का गाँव शहर से कम नहीं है और सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ अपने गाँव की निर्मलता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

हमारा देश ऐसी 'स्फूर्तियों' से भरा है। मात्र एक चिंगारी चाहिए। तब हमारा देश भी निश्चित रूप से विकसित देशों की गणना में आएगा।

स्वयं पर भरोसा

एक गरीब आदमी ने एक बड़ी कंपनी में चौकीदार की नौकरी के लिए आवेदन किया। अपने काम के हिस्से के रूप में उसे कूड़ा-करकट को बाहर निकालने के लिए कहा गया। काम पूरा हो जाने के बाद, कंपनी के मालिक ने उसे नौकरी पेश की। "बस, आप मुझे अपना ई-मेल पता दें," साक्षात्कारकर्ता ने कहा। मैं आपको वह सारे कागज़ात भेज दूंगा जिनको नौकरी ज्वाइन करते समय आपको भरकर वापस लौटाना है। उस आदमी ने जवाब दिया, "मेरे पास ई-मेल नहीं है।" "आज के परिवेश में, ई-मेल खाते के बिना आदमी का अस्तित्व ही नहीं है," साक्षात्कारकर्ता ने कहा। "यानी ई-मेल खाते के बिना किसी व्यक्ति को नौकरी देना संभव नहीं है।" और अधिक बेइज़्जती होने से बचने के लिए वह आदमी कार्यालय छोड़कर आगे निकल पड़ा। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह आगे क्या करे। उसके बैंक खाते में केवल पांच सौ रुपए थे। घर के रास्ते में, उसने एक किराने की दुकान देखी। उसने दुकानदार को पांच सौ रुपए का नोट थमाकर सेब का एक बक्सा खरीद लिया। घर-घर जाकर उसने दरवाज़े खटखटाए और जल्द ही उसने सारे सेब बेच डाले। अपनी जेब में हज़ार

रुपए लिए वह व्यक्ति दुकान पर लौट आया और अपनी सफलता को दोहराया। अगले दिन, वह जल्दी उठा और घर-घर जाकर फल बचे। जल्द ही, उसके पास फल की दुकान खरीदने के लिए आवश्यक पैसे जमा हो गए। दस साल की कड़ी मेहनत के बाद, उसने बहुत बड़ी दुकान खड़ी की जो देश की सर्वाधिक बड़ी दुकानों में से एक कहलायी। अब वह बड़ा आदमी बन गया था। जीवन बीमा पालिसी खरीदने की इच्छा से उसने विक्रेता से संपर्क किया और एक पालिसी लेने की इच्छा ज़ाहिर की और विक्रेता से अपनी पालिसी की एक प्रति भेजने की मांग की। "बस, आप मुझे अपना ई-मेल आईडी दें, मैं इसे भेज दूंगा," उसने कहा। आदमी ने तुरंत जवाब दिया: "मेरे पास ई-मेल नहीं है।" "आपके पास एक ई-मेल तक नहीं है, फिर भी आप हर साल लाखों रुपए कमा लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके पास ई-मेल होता तो आप क्या बन जाते?", विक्रेता ने पूछा। उस व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं ज़िंदगी भर कूड़ा-करकट निकाल रहा होता। आज की असफलताओं से निराश न हों। आखिर आज की असफलता, कल सफलता के द्वार खोल देते हैं।

नानी की गौरी

नानी का चेहरा आज दैदीप्यमान था, सूरज की सुबह-सुबह की किरणों सा दमक रहा था, उस चेहरे पर तेज़ ही कुछ ऐसा था, पर उस तेज में पूर्णिमा के चाँद सी शीतलता भी थी। आंखे, जिन्हें उम्र की गहरी लकीरों ने मानो लक्ष्मण रेखा में जकड़ लिया हो, पर नानी की खुशी के आगे आज कोई लकीर काम न आती। बड़ी व्यस्त सी थी आज नानी पूरे घर का मानो भार उठा रखी थी। वैसे तो घुटनों के दर्द से कराहती रहती हैं और उम्र की थकान से तो परेशान ही रहती हैं, पर आज उनकी फुर्ती देखते ही बन रही थी, उनके पुराने दर्द ने भी मानो जैसे कोई और नया ठिकाना ढूँढ लिया हो। हवा सी कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में वो दौड़ती नज़र आ रही थीं। सुनीता नहीं आई थी आज, बर्तन जूठे ही रह गए थे। वैसे तो सुनीता आए या ना आए, उनकी रसोई और बर्तन अपने समय से साफ हो जाते हैं, घर अपने समय पर अपनी निद्रा और उबासी छोड़ भोर के सूरज को अपने पास लाने को मानो तत्पर हो जाता है। पर आज न जाने उनका दिल कहा लगा हुआ था, सुनीता के बिना उनका काम जैसे थम सा ही गया था। खैर, अब वो फिर अपने काम में जुट गई, एक नज़र अपने काम पर तो दूसरी दीवार से लटकी घड़ी पर बार-बार जा रही थी। वो कहते हैं न कि 'जब से घड़ी ली है, बस टिक-टिक करती रहती है, न खुद टिकती है न ही टिकने देती है' पर आज तो घड़ी भी अपनी किस्मत को इतरा रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसके बिना आज एक पल भी गुज़ारना संभव न हो, तभी तो अपनी चाल, अपनी टिक-टिक को घड़ी ने धीरे कर दिया था। कहा तो ये भी गया है कि, 'इंतजार के पल बड़े लंबे होते हैं'। इन पलों की तुकबंदी में नानी बड़ी बेसब्री से काम कर रही थीं, तो दूसरी तरफ गेट की तरफ भी एक नज़र लगा लेती थीं, और फिर टिक-टिक करती घड़ी को भी निहार ही लेती थीं। ये सिलसिला पिछले 2 घंटे से बदस्तूर जारी था, बिना रुके, बिना थके बार-बार दोहराया ही जा रहा था। मोबाइल की बैटरी भी आज फुल चार्ज थी, और आवाज़ अपने चरम उत्कर्ष पर थी कि कहीं गलती से भी कोई फ़ोन रह न जाए।

नानी ने पूरे घर को सलीके से सजा दिया था, सोफा कवर, पर्दे, बिस्तर सब एकदम सलीके से एक दूसरे के पूरक हों जैसे-तैसे ही लगा दिए गए थे। डाइनिंग टेबल का कपड़ा एक तरफ से थोड़ा लटका हुआ था, जैसे ही नानी का ध्यान गया दौड़ कर उसको भी ठीक किया उन्होंने। घर में एक तरफ परात में गुलाब की पंखुड़ियों से भरा पानी



अलकनन्दा मिश्रा
प्रबंधक
अंचल कार्यालय, दिल्ली

रखा था। ठीक ऐसी ही परात में पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पैर धोए जाते थे। उसी के समीप एक नया तौलिया टंगा था। सेंटर टेबल पर एक छोटा पर बेहद खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता था, यूँ कहिये कि एक छोटा बागीचा ही था और एक छोटी माला भी साथ ही रखी हुई थी और साथ ही रखा था अक्षत और कुमकुम भी।

अचानक से फोन बजा, नानी दौड़कर फोन उठाती हैं, कुछ बात कर जल्दी ही फोन काट फिर सोफे के इर्द-गिर्द टहलने लगती हैं। ये तो साफ झलक रहा था की आज का दिन कुछ खास था, पर क्या खास था, ये पता नहीं चल पा रहा था। फिर किसी ख्यालों में खोई हुई रसोई में घुस गई। बहुत दिलकश खुशबू आ रही थी नानी की रसोई से, पक्का आज दावत पर आने वाला है कोई। वैसे तो नानी हमेशा साधारण खाना ही बनाती थीं अपनी उम्र और पति की पसंद और सेहत को ध्यान में रखते हुए। पर कौन आने वाला था दावत पर ये सबसे बड़ा तिलिस्म था जो समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो नानी को किसी की आवभगत करने का विशेष चाव था, पर आज की तैयारी बहुत ही खास थी। कुछ तोहफे भी रखे हुए थे, कुछ खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ, टॉफियाँ इत्यादि ऐसी बड़ी सारी तैयारी कर रखी थी नानी, जिसका मुआयना वो बार-बार कर रही थीं। वो किसी भी चीज़ के रह जाने की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थीं।

खैर, नियति भी ये सब देख रही थी, नानी की मेहनत की दाद दे रही होगी, तभी सुनीता आखिर आ ही गई। नानी ने राहत की सांस ली और उससे पूछा, क्या सुनीता कहा था कि जल्दी आ जाना, पर तुम आज और दिन से भी लेट आई, कबसे इंतज़ार कर रही हैं। सुनीता ने एकदम

से नज़र घुमा कर घर की साज-सज्जा देखी, फिर जोर से हंस पड़ी। वह बोली, दादी घड़ी को ठीक से देखिए, रोज के मुकाबले मैं पूरे एक घंटे जल्दी आई हूँ। क्या, नानी ने कहा! ऐसा कैसे हो गया, नानी ने फिर अपनी बूढ़ी नज़रें घड़ी की ओर घुमाई और ध्यान से देखते हुए मुस्कराकर बोली, तो पहले आकर बताना था ना, कितना इंतज़ार करवाया, ये बताने के लिए भी कि तुम जल्दी आई हो, और ये कहते ही दोनों हंस पड़े। सुनीता अपने काम में लग गई झटपट, और नानी ने भी अब आखिरकार अपनी आराम कुर्सी पर बैठ आंखें बंद कर ही लीं, मानो अब जाकर चैन मिला हो उनको। पता ही नहीं चला कब वो अतीत की यादों में खो गई। कितनी धूमधाम से मनाया गया था उनका बरहौ संस्कार वैसे तो हमारे समाज में लड़कियों को आज भी शायद एक अभिशाप ही माना जाता है। आज भी इतनी पढ़ाई और तरक्की के बावजूद इस भेदभाव की सामाजिक और मानसिक कुरीति से निजाद नहीं पा सके हैं हम। और ये नानी के जन्म और बरहौ की बात तो कम से कम पचास साल पहले की है। नानी की मां ने बताया था उनको, कि 3 बेटों के बाद एक बेटी के चरण घर में पड़ने पर उनके पिताजी ने खूब धूमधाम से उनका बरहौ संस्कार किया था। हालांकि, प्रथा अनुसार ये संस्कार पुत्र रत्न की प्राप्ति पर ही किया जाता रहा है। पर नानी के पिताजी ने अपनी पुत्री के जन्म पर पूरे गांव को न्यौता दिया था, ढोल नगाड़े भी बजाए गए थे, मानो बेटी नहीं साक्षात् लक्ष्मी घर पधारी हो। या यूँ कहे कि एक रानी (महारानी) का आगमन हुआ हो। नानी जब बच्ची थी, तब उनके पैरों में पायल की छन-छन से सारा घर संगीतमय रहता था। वो एक पंछी की भांति इधर-उधर निर्विघ्न विचरती रहती थीं। बड़े भाइयों ने उनका हाथ कभी न छोड़ा था, और पिताजी का प्यार तो जैसे शहद से भरी गागर से शहद टपक रहा हो और ऐसा था कि एक बार शुरू होता तो अंत कहीं नहीं दिखता। खैर दिन बीतते गए और वो एक दिन ब्याह दी गई। बस इतनी ही सी तो है बेटियों की जिन्दगी, अभी जीना शुरू किया नहीं कि जैसे अंत आ गया। वो दीवारों जिसकी हर एक ईंट में बचपन जुड़ा हुआ है, छूट जाता है हमेशा के लिए। फिर क्या, अपने ही घर में मेहमान बन जाते हैं। जिस घर में मेहमानों का सत्कार करना सीखा, वहा खुद मेहमान बन जाने की पीड़ा एकदम ऐसी ही है जैसे बाढ़ के बाद बचे हुए मिट्टी के छेद, जिनमें बसेरा तो संभव है, पर जान नहीं। मिट्टी की सोंधी खुशबू, जिसे बचपन में हर एक बारिश में इत्र की तरह रूह में बसाया हो, कूएं में हर बार गागर के पानी से मिलने की कहानी, आम के पेड़ पर बैठने वाली हर कोयल का संगीत, बौर की बौराने वाली खुशबू, खेतों में भरे हुए पानी, पास के तालाब में खिले हुए कमल दल, वही बना हुआ मंदिर, कैसे सब पराया सा हो जाता है, कैसे सब पीछे छूट



जाता है, इतना पीछे कि जिसे पाया न जा सके, जिसे मुड़ कर देखने की भी फुर्सत और हिम्मत न होती हो। कैसे किसी की सासों पराई हो जाती हैं, ये परिवर्तन, बस परिवर्तित होता रहता है, जब तक वो खुद को भूल नहीं जाते। ये बदलाव तब तक खुद को दोहराता है जब तक बारिश का सोंधापन, कोयल की कूक, मिट्टी के कंकड़, कमलदल, और यहां तक कि मंदिर भी रोमांचित करना न बंद कर दे। ये सब अपने मायने ही जैसे खो देते हैं और ठीक ऐसे ही बदल जाते हैं जीवन के हर रिश्ते। जो अपने थे वो पराए हो गए, और जो पराए थे वो तो कभी अपने हुए ही नहीं, बस इसी अपने-पराए की उथल-पुथल में हर एक सांस पूरी होती जाती है और ज़िंदगी जीवन के हर पायदान पर आगे बढ़ती जाती है। हर एक नया पहलू जीवन में एक नया रंग लता जाता है, जो पुराने सपनों को ताश के पत्तों से बने घर की भांति गिरा देता है, और उसी पर खड़ा कर देता है नया आकार, नई इमारत रिशतों की, नए रिश्तों से जुड़े सपनों की।

दादी! दादी! की आवाज़ से अचानक अपनी इस दिवास्वप्न से नानी चौंक कर जाग जाती हैं, और कहती हैं, अरे सुनीता! अभी तक तुम गई नहीं, बर्तन धुल गए सारे, कितना वक्त हो गया? सुनीता ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, बस पन्द्रह मिनट हुए मुझे आए। सारे बर्तन धुल गए और रसोई में जमा दिए हैं मैंने। क्या बस पन्द्रह मिनट। ऐसा कैसे संभव है, मैंने तो एक जीवन जैसे जी लिया हो पुनः एक बार, और तुम कहती हो सिर्फ पंद्रह मिनट। कुछ व्याकुलता के साथ नानी ने बोला! तभी सुनीता ने कहा, क्या आज कोई आ रहा है दादी? उन्होंने पलट कर सुनीता को देखा। सुनीता दंग थी, इतना नूर, दादी के चेहरे पर कभी नहीं देखा था उसने। वैसे तो नानी एक बहुत ही संतुलित

व्यक्तित्व वाली महिला थीं। हर काज को सलीके और सूझ-बूझ से करती थीं, हर रिश्ते को खुशी और ज़िम्मेदारी से निभाया था उन्होंने, पर आज की उनकी खुशी उनके चेहरे से ऐसे टपक रही थी जैसे शरद पूर्णिमा की रात चांद से अमृत टपकता है। इससे पहले की नानी कुछ कह पाती, घंटी बजी और नीचे से आवाज़ आई मम्मी! नानी बेतहाशा दौड़ी। सारी सुध-बुध खोकर, खुशी में मदमस्त होकर बोली, आज मेरी नातिन, मेरी लक्ष्मी, मेरी गौरी, मेरी आरुन्या आ रही है। ऐसे कहते हुए अपनी दो साल की नातिन, जो जन्म से अब तक उनके घर न आ पाई थी, को अपनी गोद में उठा लिया। तभी मेघ घिर आए आकाश में, धरा की जैसे तृष्णा बुझाने को, चातक से स्वाति को मिलाने को, बारिश झमाझम गिरने लगी। न जाने कितने बरस बाद नानी ने मिट्टी की सोंधी खुशबू से अपने घर, आंगन और रूह को महका लिया। फिर से वो कमल के पुष्पों के गुलाबी रंग, कोयल का मधुर संगीत, खेतों में भरे पानी, आम के बौर की खुशबू ने नानी को रोमांचित कर दिया, फिर से वो दौड़ी अपनी नातिन को लेकर मंदिर की ओर और ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया। नतमस्तक हो मेघों ने अश्रु वर्षा कर मानो ईश्वर का आशीर्वचन भेज दिया हो। एक बार फिर ऐसा लगा, बैरन धरती पर जैसे फसल लहलहाई हो, परात के पानी से नातिन (अपनी गौरी) के पैरों को धो कर उसी गुलाब की पंखुड़ियों से भरे जल का छिड़काव पूरे घर में करके उन्होंने अपने घर, मन, मंदिर, मस्तिष्क सबको पवित्र और रोमांचित कर लिया। समय मानो ठहर सा



गया। इन अनमोल पलों का एक मात्र गवाह बन गया। दोनों एक दूसरे को निहारते ही जा रहे थे और मन ही मन बातें कर रहे थे, गौरी की नानी आँखों से प्यार लुटा रही थीं, रुंधे हृदय से गा रही थीं, 'चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई एक नन्हीं परी, उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सासों में इत्र की महक, होंठ जैसे के भीगे गुलाब, उसके आने से मेरे आंगन में गुनगुनाई बहार, देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूँ उसे हज़ारों बार!' तो अब ये जग जान पाया कि आज 'नानी की गौरी' का आगमन उनके आँगन हो पाया!!

जीवन का मायना

एक महिला रविवार सुबह अपने घर के पास वाले पार्क के एक बेंच पर जा बैठी। उसी बेंच पर एक और आदमी बैठा हुआ था। महिला ने लाल टी-शर्ट पहने एक छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए उस आदमी से कहा- "जो झूला झूल रहा है, वह मेरा बेटा है।" उस आदमी ने जवाब में कहा कि "आपका लड़का काफी सुंदर है।" उसने ब्लू टी-शर्ट पहने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, "वो देखिए, जो कसरत करने में लीन है, वह मेरा बेटा है।" अपनी घड़ी की तरह देखते हुए आदमी ने अपने बेटे से कहा- "नीलकंठ, क्या हम घर चलें?" नीलकंठ ने निवेदन किया, "बस पाँच मिनट, पिताजी, बस पाँच मिनट और।" आदमी ने सिर हिलाया और नीलकंठ फिर कसरत में लीन हो गया। कई मिनट बीत गए तो पिताजी खड़े हो गए और फिर से अपने बेटे को बुलाया। "चलो, अब चलें!" फिर से नीलकंठ ने निवेदन किया- "बस पाँच मिनट और, पिताजी, पाँच और मिनट।" व्यक्ति मुस्कराया और कहा, "ठीक है।" वह महिला बाप-बेटे की बातें सुन रही थी। "आप काफी सहनशील है।" महिला ने कहा।

वह आदमी मुस्कराया और फिर उसने जवाब में कहा, "मेरा बड़ा बेटा 'जीवन', पिछले साल एक शराबी ड्राइवर की गाड़ी के नीचे आकर चल बसा था। मैं अपने बड़े बेटे 'जीवन' के साथ कभी ज्यादा समय नहीं बिता पाया और अब मैं अपने छोटे बेटे के लिए 'सिर्फ पाँच मिनट' के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने जीवन के साथ हुई उस गलती को कभी न दोहराने की कसम खाई है। वह सोचता है कि उसके पास कसरत करने के लिए पाँच और मिनट है। सच तो यह है कि मुझे उसे खेलते हुए देखने के लिए पाँच और मिनट का समय मिल जाता है जो मेरे लिए खुशी की बात है।" जीवन कोई दौड़ नहीं है। जीवन प्राथमिकताओं को तय करते हुए उन पर चलने का नाम है। भले ही आप कितने ही व्यस्त क्यों न हों, ऐसे व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय हैं, अपने व्यस्ततम समय में से उसके लिए "पाँच और मिनट" का समय देना सार्थक होगा अन्यथा, आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है। क्योंकि, एक बार आपने इसे खो दिया, तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा ...!

माँ!.. ईश्वर की कोई फरियाद

माँ मुझको तुम लगती हो
ईश्वर की कोई फरियाद..

कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति
कहाँ से लाती हो इतना प्यार
कहाँ से लाती हो इतनी सहनशक्ति
और कहाँ से लाती हो इतना दुलार?

रोज सवेरे पहले उठकर,
लेकर ईश्वर का नाम,
बिना स्वार्थ के लग जाती हो,
करने हम सबके काम.

चूल्हा-चौका, झाड़ू-बर्तन,
घर में होते ढेरों काम,
बिना शिकायत तुम करती रहती,
तुम्हें नहीं कोई आराम..

तुम्हें ना देखा मैंने करते,
बीमारी का कोई बहाना,
जैसे हम बच्चे करते हैं,
ओढ़ के चदर झट सो जाना.

नहीं तुम्हारी कोई इच्छा,
नहीं तुम्हारा कोई सपना,
हम सबके जीवन को तुमने,
मान लिया है जीवन अपना..



हिमानी गोयल
लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, गाज़ियाबाद

बरसाती हो प्यार अनोखा,
जैसे शीतल हवा का झोंका,
आने वाली हर विपदा को,
तुमने आगे बढ़कर रोका

तेरे आँचल की छाया में,
आती सबसे गहरी नींद,
हर संकट में बनती हो,
तुम सबसे पहली उम्मीद..

हर मुश्किल में आती हो,
सबसे पहले तुम ही याद,
माँ मुझको तुम लगती हो,
ईश्वर की कोई फरियाद




स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका

बिना अपनी भाषा या भाषाओं के कोई भी देश गूंगा है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है। यही वजह है कि महात्मा गांधी हिंदी और हिंदुस्तानी के समर्थक थे। सुंदरलाल ने भी हिंदुस्तानी को बढ़ावा देने का काम किया। गांधी जी खुद गुजराती भाषी थे, अंग्रेज़ी माध्यम से उच्च तालीम ली, किंतु बरसों अफ्रीका में काम करने व बैरिस्टरी करने के बावजूद उनके अंतःकरण में हिंदुस्तानी व भारतीयता के प्रति एक खास लगाव था। उन्होंने अपनी पेशेवर ज़िंदगी में कोट, सूट-बूट, टाई सब अपनाई, पर अंत में धोती में अपना कार्यांतरण कर भारत के प्रबुद्ध लोगों के साथ आम आदमी को जीवन को सरलता से जीने की सीख दी! दिल्ली के कनाट प्लेस में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार में प्रवेश करते ही दाईं ओर बिल काउंटर पर देश के महान नेताओं के विचार उनकी ही भाषा में लिखे हैं और यह गौर करने योग्य बात है कि लगभग सभी नेताओं के विचार हिन्दी में हैं। भारत की राजभाषा है। गांधी जी व पंडित जवाहर लाल नेहरू अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता होने के बावजूद थे इन दोनों नेताओं ने जनता को अक्सर हिंदी में संबोधित किया। वे हिंदी का महत्व जानते थे। कहना न होगा कि 14 सितंबर 1949 को जिस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया, वह कोई एक सदी की भाषा नहीं, बल्कि वह तो सदियों की बोली जाने वाली भाषा रही है।

खड़ी बोली में लेखन का इतिहास भले ही एक डेढ़ सदी पुराना हो, पर लेखन में हिंदुस्तानी लहजा सदियों पुराना है। सूरदास, कबीर, तुलसीदास, नानक, रैदास, मीरा ने जिस भाषा में लिखा, वह कोई संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं, बल्कि आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा थी। यही वजह है कि सदियों पहले लिखे गए संत साहित्य का प्रसार पूरे देश में तब हुआ जब संचार का आज जैसा कोई त्वरित साधन न था। इन संतों को यह समझ थी कि हिंदी-हिंदुस्तानी में लिख कर पूरे देश में पहुंचा जा सकता है, किसी अन्य भाषा में नहीं, क्योंकि इस भाषा को करोड़ों लोग बोलते हैं।

उदंत मार्तण्ड श्री युगल किशोर शुक्ल द्वारा 30 मई, 1826 को कोलकाता से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। यह एक साप्ताहिक था, जो प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था और इसकी कीमत रु.2/- थी। यह एक साल सात महीने तक प्रकाशित होता रहा। अपेक्षित प्रचार-प्रसार न मिलने की वजह से इस पत्रिका का प्रकाशन दिनांक 4 दिसंबर 1827 को बंद कर दिया गया। 'उदंत



दीपक शांताराम ठाकुर
प्रबंधक
एल.सी.बी. बी.के.सी, मुंबई

मार्तण्ड' कोई राजनीतिक अखबार नहीं था; लेकिन हिंदी भाषा में इसके योगदान के लिए इसे कभी कमतर नहीं आंका जा सकता। 1788 को कानपुर में जन्मे शुक्लाजी कोलकाता के दीवानी कचहरी में कार्य करते थे और एक पत्रिका को संपादित करने की क्षमता रखते थे। हिन्दी के अलावा, वे ब्रजभाषा में भी लिखने की क्षमता रखते थे। हालांकि उदंत मार्तण्ड ने बहुत ही छोटी सी यात्रा के दौरान हिंदी पत्रकारिता के लिए पथ का निर्माण किया, जिसने बाद में न केवल सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभायी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की आवाज़ बन गई।

काशी से 1845 में बनारस अखबार किसी भी हिंदी राज्य से प्रकाशित होने वाले पहले साप्ताहिक में से एक था। हालांकि अखबार का नाम हिंदी में था, फिर भी इसे तीन भाषाओं यथा- देवनागरी, अरबी और फारसी के शब्दों का उपयोग करके बनाया गया था, जिससे आम लोगों के लिए इसे पढ़ना मुश्किल साबित हुआ। अजीब बात है कि इस द्विभाषी उत्साही अखबार के संपादक मराठी भाषी गोविंद रघुनाथ थेते थे। मुंशी सदासुखलाल के संपादन में 1852 में आगरा से एक मासिक, बुद्धि प्रकाश निकला। इस पत्रिका में दिलचस्प निबंध और समाचार आइटमों को छापने के अलावा इतिहास, भूगोल, गणित, शिक्षा और अन्य विषयों जैसे - अकादमिक मूल्यों के लेख भी प्रकाशित किए गए थे।

1857 के विद्रोह के प्रकोप ने नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। नई राजनीतिक जागरूकता और अपनी भाषा हिंदी की उन्नति के लिए उत्सुकता के साथ, भारतेन्दु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक,

आर्थिक और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया था। वह न केवल उर्दू, हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बंगला बल्कि अंग्रेज़ी में भी पारंगत थे, जो पश्चिमी साहित्य के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। 1868 में, उन्होंने काशी से मासिक कवि वचन सुधा प्रकाशित करके हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इसने कवियों की एकत्रित कृतियों को प्रकाशित किया जाता रहा। 1875 में सुधा एक साप्ताहिक बन गई और 1885 तक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में प्रकाशित होने लगी। भारतेंदु ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में सुधा प्रकाशित करके झिलमिलाहट पैदा कर दी थी। उन्होंने जन चेतना लाई और लैंगिक समानता की वकालत की। उन्होंने भारत के स्व-शासन, उसकी पूर्ण संप्रभुता का सपना देखा और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले था। रुद्र दत्ता शर्मा द्वारा 17 मई 1878 को कोलकाता से एक प्रभावशाली पत्रिका भारत मित्र का संपादन किया गया। भारतेंदु ने खुलासा किया कि भारत मित्र एक राजनीतिक पत्रिका थी, हालांकि इसमें आनुवांशिकी विषय शामिल थे। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु युग को एक स्वर्ण युग माना जाता है और यह हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता का प्रतीक है।

सरस्वती को पहला सबसे लोकप्रिय हिंदी मासिक माना जाता है, जिसे चिंतामणि घोष ने प्रयाग से 1900 में इंडियन प्रेस में प्रकाशित किया था। इसे नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती के संपादकीय का कार्यभार संभाला और हिंदी पुनर्जागरण के तीसरे चरण की शुरुआत उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता अभियान से हुई। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करना था, फिर भी कहीं न कहीं इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त था। द्विवेदीजी देशभक्ति से ओतप्रोत थे, हालांकि वे न्यायसंगत और सुशासन के पक्ष में थे। द्विवेदी युग के दौरान हिंदी पुनर्जागरण पुनरुत्थान का युग था जब कविता में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को धीरे-धीरे प्रतिबिंबित किया गया था, जबकि गीतों में सामाजिक उत्तेजना का विषय था।

1907 में प्रयाग से मदन मोहन मालवीय द्वारा साप्ताहिक साहित्य निकाला गया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे द्वारा नागपुर से हिंद केशरी शुरू किया गया। कानपुर के एक युवा उत्साही, गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में एक तेजतर्रार और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप शुरू किया, जो विद्रोही युवाओं का मुखपत्र था। इसने न केवल क्रांतिकारी आयाम बल्कि उपन्यास उथल-पुथल को भी प्रस्तुत



किया। हिंदी में एक और महत्वपूर्ण पत्रकारिता का योगदान 1913 में प्रभा की उपस्थिति है, जिसे पहले खंडवा से कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में 1919 में, विद्यार्थी के कानपुर के प्रताप प्रेस से बाहर आना शुरू हुआ। प्रभा भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था। श्री सुंदरलाल द्वारा लिखित तीन खंडों में लोकप्रिय पुस्तक भारत में अंग्रेज़ी राज को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया और जब्त कर लिया गया; लेकिन सरकारी घुसपैठ के बावजूद, इसकी हज़ारों प्रतियां राष्ट्रव्यापी परिचालित की गईं।

1920 में, शिव प्रसाद गुप्ता ने स्वतंत्रता संग्राम को सुविधाजनक बनाने के लिए काशी से अज शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण लॉन्च किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श के संपादन के साथ शुरुआत की। उसी वर्ष, दुलारे लाल भार्गव के संपादकीय में लखनऊ से एक साप्ताहिक पत्रिका माधुरी का शुभारंभ किया गया। माधुरी ने कम समय में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक साहित्यिक पत्रिका थी। हिंदी साप्ताहिक मतवाला का प्रकाशन 26 अगस्त 1923 को कोलकाता से शुरू हुआ, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, पांडेय बेचन शर्मा उग्र और नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे प्रख्यात हिंदी साहित्यकार जुड़े। मतवाला ज्ञान और हास्य का एक मुखर पत्र था, जिसकी टिप्पणियाँ तीखी और कठोर होती थीं। 1920 में, शिव



प्रसाद गुप्ता ने स्वतंत्रता संग्राम को सुविधाजनक बनाने के लिए काशी से अज शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण लॉन्च किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श के संपादन के साथ शुरुआत की। उसी वर्ष, दुलारे लाल भार्गव के संपादकीय में लखनऊ से एक साप्ताहिक पत्रिका माधुरी का शुभारंभ किया गया। माधुरी ने कम समय में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक साहित्यिक पत्रिका थी। इसमें संस्कृति, समाज, सांप्रदायिकता और राजनीति पर निडर टिप्पणियां थीं। 1928 में, बनवारी दास चतुर्वेदी ने मासिक विशाल भारत का संपादन शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि चतुर्वेदी जी में साहित्यिक दूरदर्शिता से अधिक पत्रकारिता की नैतिकता थी और पत्रिका में स्वतंत्रता संग्राम की कोई नोक-झोंक नहीं थी। 1933 में गांधीजी ने हरिजन सेवक शुरू किया जो अस्पृश्यता और गरीबी के खिलाफ उनके धर्मयुद्ध का द्योतक था।

मुंशी प्रेमचंद के बाद के चरण में उग्रवाद की प्रवृत्ति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रतिबद्धता, भगत सिंह को फांसी की सजा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन राजनीतिक चरमपंथ के प्रमाण हैं। राजनीतिक दमन और उथल-पुथल का समय ऐसा था कि प्रेमचंद ने 1930 में

हंस प्रकाशित करना शुरू किया। भारतेंदु द्वारा प्रज्वलित देशभक्ति की आग और विद्यार्थी के संपादकीय उत्कृष्टता से गुजरते हुए, प्रेमचंद की राजनीतिक-साहित्यिक पत्रिका चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। प्रेमचंद के शुरुआती कार्यों से पता चलता है कि गांधीवाद के विचार ने उन्हें प्रभावित किया है। लेकिन, धीरे-धीरे, उन्होंने राजनीति और साहित्य पर अपने स्वयं की दृष्टि विकसित की। उन्होंने प्रेमचंद को धनपत राय से मोड़कर राजनीतिक जुनून के अशांत दौर में एक स्कूल निरीक्षक की सेवा को त्यागकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने हंस के साथ जागरण नामक एक साप्ताहिक की शुरुआत की; हालांकि यह लुप्त हो गया, लेकिन हंस अभी भी जीवित है। सितंबर 1936 में उनके जीवनकाल के हंस के अंतिम अंक में एक शानदार निबंध महाजनी सव्यता प्रकाशित हुआ, जो प्रेमचंद की तीक्ष्ण क्रांतिकारी चेतना का प्रमाण है।

हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रवादी विचारधारा के गठन और प्रसार के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ रही है और जनता के बीच मजबूत राष्ट्रीय भावना और चेतना को उभारा है। इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इस बात भी कोई संदेह नहीं कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का बड़ा महत्व रहा और देश को एक-साथ जोड़ने में हिंदी भाषा का अहम योगदान दिया।

फूल खिलेंगे गुलशन-गुलशन।

यह हँसते खेलते नन्हें-मुन्ने
जिन्हें देख चित खिलता है
कल कालजयी के कदमों में
उनका अबोध सिर रखना है।

हर सूर्य अस्त होने को है
जो फूल खिला मुरझाने को है
यह विधि का शाश्वत नियम, सखे,
फिर उदास होता क्यों मन

यह जीवन का संदेश, सखे,
यह मृत्यु उद्धोषित हो रही,
यह सुबह की प्रभात की लालिमा
या शमशान की लाली है।

अभी विनाश है, मानव जीवन का रूदन है,
आगे है विकास, है संवेदना जीवन की,
पतझड़ है अभी, कोलाहल गली-गली,
बसंत है आगे, जीवन का मूल्य अटल।



डॉ. मनोरंजन शर्मा
भूतपूर्व महाप्रबंधक
केनरा बैंक

इन विधवाओं की क्रंदन में,
इस सुनामी, दावानल, झंझावट में
हमें न विस्मित करना है
ये वक्त गुजर भी जाएगा।

यह क्रूर हवा का झोंका
दो परिवर्तित करता हरियाली को पतझड़,
यही वायु वह लाएगा,
फूल खिलेंगे गुलशन-गुलशन।



बैंकिंग कारोबार में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता

भारत भाषायी विविधताओं वाला देश है। भाषाएँ हमारी देश की धरोहर है और सांस्कृतिक-पारंपरिक अभिव्यक्तियों की रक्षा भी करती है। भाषाएँ हमें विश्व के देशों से अलग पहचान दिलाती है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जिसके कारण सरकारी कामकाज एक भाषा में करना मुश्किल हो जाता है। 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में प्रावधान किए गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राजभाषा स्वीकार किया गया और 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान समय में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को राज्यों में सरकारी कामकाज करने की मान्यता संविधान में प्रदान की गयी। आज भाषा तकनीकी, व्यापारिक और सामाजिक विकास का माध्यम है, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग कारोबार में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता काफी ज्यादा हो गयी है। बैंकिंग का देश की आम जनता से गहरा और नजदीकी संबंध है। यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ जनता से सीधे जुड़ा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में बैंकिंग क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भाषाएँ अपना प्रमुख स्थान निभाती हैं, जिनमें हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान तो प्रमुख है ही। बैंकिंग सेवाएं देश के गांव-गांव व दूर दराज के क्षेत्र की जनता तक पहुंच रही हैं और उनकी समझने व बोलने वाली भाषा स्थानीय भाषा हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएँ ही होती है। लेकिन भारत की 75% जनता हिंदी बोलना, लिखना एवं बोलना समझती है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा आज बैंकों के लिए कारोबार की ज़रूरत बन गयी है। अतः हिंदी के प्रयोग से ग्राहकों की अपेक्षित सेवाएं सहज और सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है। बैंकिंग कारोबार समाज के अंतिम छोर तक तभी पहुंच सकता है, जब हम आम आदमी की भाषा का प्रयोग करें। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की इसमें अहम भूमिका है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से बैंकिंग कारोबार मजबूत होगा, इससे देश का समावेशी विकास संभव होगा। वैश्विक पटल पर सशक्त भाषा के रूप में भी हिंदी की अपनी पहचान होगी। अब अगर इसे तकनीक से जोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ कार्य आसान हो जाएगा। अधिकांश राज्य हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बैंकिंग कामकाज भी अगर इन्हीं भाषाओं में होगा तो लोग बैंकों से सरलता से जुड़ सकेंगे।



डॉ. सुरेश कुमार
प्रबंधक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-१।

भाषा संप्रेषण का माध्यम है। यदि 125 करोड़ आबादी वाले देश में यदि कोई नया उत्पाद व सेवाओं का विज्ञापन हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में आमजन को उपलब्ध नहीं कराता है तो वह उत्पाद आमजन के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाता है, खासकर बैंक के द्वारा निकाली जाने वाली बहुत सी योजनाएँ आमजन तक नहीं पहुँच पाने का प्रमुख कारण संप्रेषण का अभाव रहा है, इसलिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के तहत बैंकों की शाखाओं को गांवों तक पहुँचाने का संकल्प लिया। बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए हमें अपना कारोबार ग्राहक की भाषा में करने की आवश्यकता है। बैंकिंग एक क्षेत्र सेवा होने के कारण अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार जनता के बीच उन्हीं की भाषा में करता है। अतः बैंकिंग क्षेत्र के कारोबार में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं वाले विज्ञापनों को अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं और रेलवे स्टेशनों, बसों, मॉल एवं सार्वजनिक स्थलों पर बैंकों एवं संस्थाओं के विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्ड आपको क्षेत्रीय भाषाओं एवं हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। बैंकिंग कर्मचारियों को ग्राहक की भाषा में कार्य करना चाहिए। इसके साथ-साथ ग्राहकों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनके साथ संप्रेषण भी उसकी भाषा में ही करना चाहिए। ग्राहकों के जनसंपर्क की भाषा सहज-सरल होनी चाहिए। कोई भी उत्पाद अपने उत्पादों एवं सेवाओं को तभी लोकप्रिय बना सकता है जब वह जनता की भाषा का प्रयोग करेगा। यदि हम हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के सरल एवं सहज प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके अपने उत्पादों का विपणन करेंगे तो वे अधिक कारगर होंगे।

भाषा वर्तमान में तकनीकी, व्यापार और सामाजिक विकास का माध्यम बन गयी है। आज के प्रतियोगिता भरे युग में ग्राहकों की संतुष्टि प्रदान करने का मुख्य मंत्र भी यही है। हम ग्राहकों की भाषा में ही संवाद करें। बैंकिंग कारोबार में वृद्धि लाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम भी भाषा है। चाहे अर्जक(एनपीए) खातों में वसूली के लिए हमें कर्जदार से बातचीत करनी हो, चाहे हमें बैंकिंग सेवाएँ ग्राहकों को उपलब्ध करानी हो या किसी उत्पाद की जानकारी ग्राहकों को प्रदान करनी हो तो हमें उनकी भाषा में ही संप्रेषण करना होगा। ग्राहकों की अपनी भाषा से ही हम उनमें अपनापन ला सकते हैं, इसलिए लिपिक या उससे नीचे के पद के संबंध में आवेदन करने के लिए क्षेत्रीय भाषा की जानकारी हो तभी आप उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा उस पद के आवेदन के विज्ञापन में जानकारी दी जाती है।

भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें ग्राहकों से जोड़ता है। विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में भारतीय बैंक अपनी प्रत्येक शाखा/ कार्यालय में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से बाजार में पना अस्तित्व बनाने में सफलता प्राप्त कर सक सकते हैं। वर्तमान समय में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और सरकार यह भी चाहती है कि कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेज़ी भाषा के अधिक प्रचलन के कारण हिंदी व क्षेत्रीय भाषाएँ लुप्त न हो जाएं,



जिसके कारण सरकार द्वारा बैंको में हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन एवं स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करायी जाये।

भारत देश में विशाल उपभोक्ता वर्ग है। बैंकों के द्वारा ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी में भी हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। इन बैंकों ने अपने कारोबार को बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य को सामने रखकर ऐसा किया है। अतः हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग से बैंकिंग कारोबार में और अधिक वृद्धि करने की अपार संभावनाएँ हैं।

सीख

एक संत नदी के किनारे बैठे थे। किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल किया – क्या कर रहे हैं बाबाजी ?

संत ने कहा : मैं पूरी नदी के पानी के बह जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फिर मैं इसे पार करूँगा।

उस व्यक्ति ने फिर पूछा : बाबाजी, यदि आप पानी के बहने का इंतज़ार करते रहेंगे तो आप नदी कभी पार नहीं कर पाएँगे। ऐसा होना संभव नहीं है।

संत ने जवाब दिया : यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो लोग हमेशा कहते हैं कि एक बार ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाएँ, तो मैं ज़िंदगी के मज़े ले पाऊँगा। मस्ती करें, घूमें-फिरें, सभी से मिलें और वह सब उचित कार्य करें जो आप करना चाहते हैं। जैसे नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, जीवन की ज़िम्मेदारियाँ भी कभी खत्म नहीं होंगी। हमें नदी पार करने का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। अतः, मज़े के साथ जीवन जीना शुरू करें क्योंकि जीवन अमूल्य है और हमें जीवन में आनेवाले हर मुश्किलों का डटकर सामना करते हुए सार्थक जीवन जीना होगा।

कोविड-19 महामारी से हमें भी यही सीख लेनी होगी कि जीवन अनमोल है और हमें अपने, अपने परिवार और समाज को इस दिशा में पूरी अहतियात बरतनी होगी क्योंकि 'जान है तो जहान है' !

बैंकिंग उद्योग का भविष्य

दशकों के कठोर नियंत्रण के बाद, भारतीय बैंकिंग उद्योग एक बड़े तरीके से खुल रहा है। इसमें सबसे पहले, अगस्त 2015 में बैंकों की एक नई श्रेणी, अर्थात् भुगतान बैंक की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण कदम है। एक महीने बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 छोटे बैंकों के लिए वित्त बैंक लाइसेंस जारी किए और भविष्य में भी आरबीआई से समय अंतराल पर बैंकिंग लाइसेंस देने की उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनियमित है। देश में वित्तीय और आर्थिक स्थितियां दुनिया के किसी अन्य देश से कहीं बेहतर हैं। क्रेडिट, बाजार और तरलता जोखिम अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय बैंक आमतौर पर मजबूत हैं और वैश्विक मंदी को झेलने में अच्छे से सफल रह चुके हैं। चूंकि भारत अगले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसकी जनसंख्या के बीच समृद्धि का औसत स्तर और धन के न्यायसंगत वितरण की डिग्री, काफी हद तक, समावेशी विकास के पैमाने के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ग्राहक अपेक्षाओं, नियामक आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, नए प्रतिद्वंद्वियों और स्थानांतरण अर्थशास्त्र की विकसित शक्तियों के जवाब में अधिकांश परिदृश्य महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगा। बैंकों को यह चुनने की जरूरत है कि इस बदलाव के खिलाफ किस ढंग को अपनाना है – भविष्य निर्धारित करने वाला या रक्षात्मक रूप से प्रबंधन करने वाला। उसी स्थिति में रहना कोई विकल्प नहीं है।

जब हम अन्य उद्योग देखते हैं, तो हम उन अनुभवों को देख सकते हैं जो विशिष्ट और आकर्षक दोनों हैं। ये अनुभव आम तौर पर डिजिटल चैनलों का उपयोग करके, आसानी से और मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करते हैं। भविष्य में बैंकिंग पारिस्थितिक तंत्र में बैंकिंग के भीतर सबसे अच्छी खूबी क्या है, साथ ही साथ अन्य उद्योगों से हम जो भी सीख सकते हैं, उसका एकीकरण होना चाहिए। इस विजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं:

- **सरल, तेज़ और सुरक्षित:** अधिकांश लोगों के फोन पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऐप्स वे हैं जो उपयोग करने के लिए सबसे आसान हैं, अच्छी तरह डिज़ाइन किए



रोशनलाल शर्मा

प्रबंधक

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-2

गए हैं और सबसे तेज़ और सबसे सुरक्षित तरीके से कार्य पूरा कर सकते हैं।

- **फ़ाइनेंस के व्यक्तिगत दृष्टिकोण:** उपभोक्ता को अपनी इच्छित जानकारी की खोज करने की आवश्यकता के बजाय, यह बिना खोजे जानकारी प्राप्त करवाना उपभोक्ता के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रत्येक लेनदेन के बाद एक मौजूदा रियल-टाइम वित्तीय प्रोफ़ाइल देखने और व्यक्तिगत बजट परिदृश्य बनाने में सक्षम होने की क्षमता एक आधारभूत आवश्यकता है।
- **वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहुंच:** यदि कोई बैंकिंग संगठन उपभोक्ता के जीवन के बीच होना चाहता है, तो उसे उपभोक्ता के जीवन के आस-पास की सभी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
- **डिजिटल चौकीदार:** जिस तरह से ग्राहक अपने जीवन का संचालन करता है, उसमें व्यापक अंतर्दृष्टि के साथ, भविष्य के बैंक के लिए ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित अनुस्मारक प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा।
- **मोबाइल से परे डिजिटल:** बाजार तेजी से बदल रहा है, प्रौद्योगिकी और नए आविष्कार पहले से कहीं अधिक तेजी से आ रहे हैं। डेवलपर्स को मोबाइल से आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसे समाधानों को विकसित करना जिन्हें उन

चैनलों में पहुंचाया जा सकता है, जो आज मौजूद नहीं हो सकते हैं (एआर, वीआर, एमएस, इत्यादि)।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को समय के साथ बदलने तथा आगे बढ़ने के लिए तकनीकी बदलाव लाना काफी जरूरी हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से पारंपरिक बैंकिंग व्यवसाय में प्रवेश कर रही है। अमेरिकी बैंक प्रबंधकों के बीच हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनमें से 47% प्रत्येक बोर्ड मीटिंग में प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हैं। उनमें से तीन-चौथाई अनियमित गैर-बैंक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता करते हैं। बैंकों के लिए भविष्य काफी हद तक अज्ञात है। आईटी विकास बैंकिंग व्यवसाय के तरीके को काफी हद तक बदल देगा। बैंकों को आईटी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए काम में लिया जा सकता है, जो लागत क्षमता पैदा करते हैं। सामान्यतः हम तर्क देते हैं कि रिलेशनशिप बैंकिंग अभी भी सही रास्ता हो सकता है। रिलेशनशिप बैंकिंग को बढ़ाने के लिए आईटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और अपने ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम आधुनिक बैंकिंग विकास के जुड़वा स्तंभ के रूप में उभरे हैं। बैंकों द्वारा पेश किए गए उत्पाद पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़ गए हैं और इन सेवाओं तक पहुंच हर समय उपलब्ध है। यह वास्तव में भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक क्रांति है। भुगतान बैंक इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के बाद एक और वैकल्पिक चैनल खोलेंगे, और ग्रामीणों तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की लागतों को कम करने और क्षमता में सुधार करने में मदद करेंगे। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2015 में 'डिजिटल इंडिया अभियान' लॉन्च किया गया था, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर सरकारी सेवाओं और सब्सिडी लाभ नागरिकों को उपलब्ध कराए जा सके, तकनीकी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करे जिसने भारत देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाये।

सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जो महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा है वो है - साइबर सुरक्षा। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा भी काफी जरूरी हो जाती है जो कि बैंक को साइबर जोखिम से बचने में मदद करती है। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि साइबर जोखिम कि प्रकृति लगातार विकसित हो रही है, केवल तकनीकी परिपेक्ष्य से ही नहीं।



भारत में बैंकिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और देश में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच और तकनीकी आविष्कारों ने स्थापित प्रक्रियाओं में बाधा डालने को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटल वाललेट, ईएमवी चिप-आधारित कार्ड, और एसएमएस आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से द्विकारक प्रमाणीकरण जैसी तकनीकें भारत में मुख्यधारा बन गई हैं। इन नई पद्धतियों को भुगतान लेनदेन को सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था; लेकिन क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं ?

डिजिटल वॉलेट्स

भारत में, डिजिटल वॉलेट खरीद और भुगतान के लिए नकदी का स्थान ले रहे हैं, खासकर मोबाइल फोन रिचार्ज के लिए, डीटीएच सेवा रिचार्ज, यूटिलिटी बिल, परिवहन सेवाएं, और यहां तक कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए भी। भारत के लगभग सभी प्रमुख बैंकों ने विभिन्न प्रकार की कार्यक्षमताओं के साथ डिजिटल वॉलेट का अपना संस्करण लॉन्च किया है और बढ़ते स्मार्टफोन उपयोगकर्ता बाजार में संध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट फोन के उपयोग में वृद्धि के साथ, डिजिटल वॉलेट से जुड़े साइबर धोखाधड़ी पर चिंता बढ़ रही है। भारत में डिजिटल वॉलेट मुख्य रूप से मोबाइल आधारित हैं और इसमें निहित जोखिम निम्न प्रकार से हैं:

- फिशिंग धोखाधड़ी
- स्नीफिंग / घुसपैठ / साइबर अटैक
- दुर्व्यवहार के माध्यम से लाभ: नियमित ग्राहक उत्पाद या एप्लिकेशन त्रुटियों की खोज करते हैं जो विशिष्ट परिदृश्यों में उन्हें लाभ प्रदान कर सकते हैं और फिर इन सीमाओं का

शोषण करने के लिए बार-बार समान परिदृश्यों का अनुकरण कर सकते हैं।

- **नकली केवाईसी**
- **अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा एप्लिकेशन हेरफेर:** व्यवस्थापक / सुपर-उपयोगकर्ता पहुंच वाले कर्मचारी अनधिकृत लेन-देन कर सकते हैं।

डिजिटल वॉलेट का उद्योग काफी हद तक भारत में एक नवीन चरण में है और बैंक धोखाधड़ी नियंत्रण उपायों की तुलना में उपयोगकर्ता आधार बनाने पर अधिक केंद्रित हैं हालांकि, यह देखा गया है कि भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म उपयोग लेने की दर दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी अधिक है इसलिए यह संभव है उपयोग दरों में बढ़ोतरी के साथ साइबर धोखाधड़ी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

चिप आधारित कार्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों ने ईएमवी चिप-आधारित कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ी हुई कार्यक्षमताओं के साथ भुगतान लेनदेन को सुरक्षित करते हैं:-

- **कार्ड प्रमाणीकरण:** कार्ड प्रमाणीकरण नकली कार्ड (स्किमिंग) धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा करता है।
- **कार्डधारक सत्यापन:** कार्डधारक सत्यापन कार्डधारक को प्रमाणित करता है और खोए और चोरी किए गए कार्डों के खिलाफ सुरक्षा करता है। कार्डधारक सत्यापन सुनिश्चित करता है कि लेनदेन करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका वह कार्ड है।
- **लेनदेन प्राधिकरण:** लेनदेन प्राधिकरण लेनदेन को अधिकृत करने के लिए जारीकर्ता-परिभाषित नियमों का उपयोग करता है। लेनदेन कार्ड में सेट जारीकर्ता-परिभाषित जोखिम पैरामीटर का उपयोग करके या तो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राधिकृत किया जाता है। जबकि ईएमवी चिप-आधारित कार्ड अपराधियों के लिए चुंबकीय पट्टी की प्रतिलिपि बनाकर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने के लिए और अधिक कठिन बना देता है, ईएमवी चिप-आधारित



कार्डों द्वारा कम किए गए साइबर जोखिमों की खराब समझ निम्न भेद्यता को जन्म देती है:-

- बैंकों द्वारा जारी किए गए ईएमवी चिप-आधारित कार्ड चिप और चुंबकीय-स्ट्रिप कार्यों दोनों को सपोर्ट करते हैं और इस प्रकार चुंबकीय स्ट्रिपकार्ड के जोखिम फिर भी रहते हैं। ईएमवी चिप-आधारित कार्ड पर चुंबकीय पट्टियां क्लोनिंग या छेड़छाड़ करने के लिए उपयोग ली जा सकती हैं।

एसएमएस आधारित ओटीपी

एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) बेहद लोकप्रिय है और भारत में द्विकारक प्रमाणीकरण (2 एफए) का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है। एसएमएस-आधारित ओटीपी बैंकों द्वारा सभी मोबाइल फोन पर उपलब्ध सरल संदेश सेवा (एसएमएस) चैनल से बाहर एक पासवर्ड समय से और सुरक्षित रूप से वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश बैंकों ने बेनेफिसियरी जोड़ने, फंड ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एसएमएस-आधारित ओटीपी लागू किया है।

ओटीपी हमलावरों के लिए प्रतिबंधित संसाधनों जैसे बैंक खातों या संवेदनशील जानकारी वाले डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना मुश्किल बनाता है। एसएमएस-आधारित ओटीपी का उपयोग करना, प्रबंधित करना और वितरित करना आसान है, और उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन पर स्थापित करने के लिए कोई अतिरिक्त हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एसएमएस आधारित ओटीपी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है और यह केवल एक अंतरकालीन समाधान है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्रृंखला :

‘ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता’ श्रृंखला की इस सातवीं कड़ी में हम, भारत में ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ हासिल करने वाले मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु सखाराम खांडेकर की यहां जीवनी का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। वह प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी लेखक थे। वे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व मेधावी छात्र थे। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अलावा नाटक, निबंध और आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। खांडेकर के ललित निबंध उनकी भाषा शैली के कारण काफी पसंद किए जाते हैं। उनका नाम मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में शुमार है।

जन्म तथा शिक्षा :

श्री विष्णु सखाराम खांडेकर का जन्म 11 जनवरी, 1898 को सांगली (महाराष्ट्र) में हुआ था। उनके पिता सांगली प्रिंसिपैलिटी में मुंसिफ थे। उनके शुरुआती जीवन में वह अभिनय में दिलचस्पी रखते थे। स्कूल के दिनों में वे नाटक में अभिनय किया करते थे। उन्होंने 1913 में 15 वर्ष की अवस्था में मैट्रिकुलेशन पास किया था, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज का रुख कर लिया। सन् 1920 में विष्णु सखाराम खांडेकर ने एक छोटे शहर शिरोडा में स्कूल टीचर के रूप में काम करना शुरू किया। यह आज का सिंधुदुर्ग जिला है, जो कि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने स्कूल में करीब 18 साल यानी 1938 तक काम किया। एक प्राध्यापक के रूप में काम करते हुए उन्होंने मराठी साहित्य की रचना की। सन् 1941 में खांडेकर को मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। यह सम्मेलन सोलापुर में 1968 में हुआ था। मराठी के इस चर्चित रचनाकार का निधन 02 सितंबर 1976 को हुआ।

उल्लेखनीय कार्य और उपलब्धियां :

अपने जीवनकाल में उन्होंने कुल 16 उपन्यास लिखे। ढाई सौ के करीब छोटी कहानियां लिखीं और लगभग 200 आलोचनाएं भी उनके हिस्से में हैं। उन्होंने मराठी व्याकरण में खांडेकर अलंकार की



विष्णु सखाराम खांडेकर
(11 जनवरी 1898-02 सितंबर 1976)

स्थापना की और उस पर काम किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में – ‘हृदयाची हाक’, ‘कांचनमृग’, ‘उल्का’, ‘पहिले प्रेम’, ‘अमृतवेल’, ‘अश्रु’, ‘सोनेरी स्वप्ने भंगलेली’ शामिल हैं। उनकी कृतियों के आधार पर मराठी में ‘छाया’, ‘ज्वाला’, ‘देवता’, ‘अमृत’, ‘धर्मपत्नी’ और ‘परदेशी’ फिल्में बनीं। उनके कार्य के ऊपर फिल्में भी बनीं हैं। इनमें ‘ज्वाला’, ‘अमृत’ और ‘धर्मपत्नी’ नाम से हिन्दी में भी फिल्में बनाई गईं। उन्होंने मराठी फिल्म ‘लग्न पहावे करून’ की पटकथा और संवाद भी लिखे थे। उन्होंने परदेशी फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन प्ले भी लिखा।

पुरस्कार और सम्मान :

उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में ययाति, क्रौंचवध, देवयानी, शर्मिष्ठा आदि शुमार हैं। उन्हें मराठी के तमाम पुरस्कारों के अलावा, उनके द्वारा रचित उपन्यास ‘ययाति’ के लिये उन्हें सन् 1960 में ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया और बाद में फ़ेलोशिप भी प्रदान की गई। भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1968 में उन्हें ‘पद्मभूषण’ उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें 1974 में प्रतिष्ठित ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने विष्णु सखाराम खांडेकर के सम्मान में 1998 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।



विष्णु सखाराम खांडेकर के सम्मान में दिनांक 19.01.1998 को डाक विभाग द्वारा जारी एक विशेष स्मारक डाक टिकट

अखिल
भारतीय
राजभाषा
सम्मेलन



**अखिल
भारतीय
राजभाषा
सम्मेलन**





अखिल
भारतीय
राजभाषा
सम्मेलन



डिजिटल बैंकिंग में हिन्दी का प्रयोग - संभावनाएं एवं चुनौतियां



शशि कांत पांडेय
प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, लखनऊ

‘तकनीकी युग’ इक्कीसवीं सदी का पर्याय है। आज, जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तकनीकी का आधुनिक रूप हमें आज इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, उपग्रह, कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। इन सभी माध्यमों से हमारे संप्रेषण में तेजी आई है। अर्थात् हम अपनी बातों, विचारों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देते हैं। परंतु, आज जब हम हिन्दी के माध्यम से कंप्यूटरीकरण की बात करते हैं तो जेहन में एक ही बात कौंधती है- हिन्दी में टंकण हमें आज टंकण से ऊपर उठना है, मूलभूत काम को हिन्दी में करना है। फिर पुनः एक प्रश्न उठता है अच्छा मूलभूत काम हिन्दी में करना है परंतु प्लेटफार्म जिस पर काम किया जाना है वही पूरी तरह से आपकी भाषा में न हो तो? तब बात पूरे व्यवस्था को ही हिन्दी में करने की आती है।

‘जो दिखता है वही बिकता है’ की मूल अवधारणा को यदि देखें तो पाएंगे कि जैसे-जैसे विभिन्न तकनीकों का आविष्कार हो रहा है उसके उपयोग करने वाले लोगों तक पहुंच हो रही है। नब्बे के दशक में जिन तकनीकी सुविधाओं का आविष्कार हुआ उन्होंने आमजन के जीवन को बदल डाला। परंतु, मानव के स्वभावगत कमजोरी के कारण व्यक्ति आज भी जैसा मिल जाए उसी में काट-छांट कर अपना काम चला लेने के कारण हिन्दी भाषा के माध्यम से उन तकनीकों का या फिर कहें कि तकनीकों के माध्यम से हिन्दी भाषा का उतना विकास न कर पाया जितना हो जाने की असल में वह अधिकारिणी है।

आज हर बैंक अपने आपको डिजिटल रूप से सशक्त बना रहा है। हमारे केनरा बैंक ने सभी बैंकों से एक कदम आगे जाते हुए कैंडी जैसी पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की है। डिजिटल बैंकिंग जहां आज समय की आवश्यकता है तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं।

चुनौतियाँ :

हिन्दी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी जिस सरकारी तंत्र को दी गई है वह तंत्र आज पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में दक्ष होकर निकल रहा है। विद्यालयों में हिन्दी विषय के पढ़ने की अनिवार्यता के कारण मात्र एक विषय के रूप में पढ़कर आज युवा, डिजिटल युग के जिस

अथाह संसार में जा रहा है वहां पर हिन्दी की नाव डगमगाती सी दिखती है।

यह एक संयोग ही है कि कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम ऐसे देशों में हुआ जिनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी थी। शायद यही कारण है कि सबसे पहले रोमन लिपि में कंप्यूटर पर कार्य आरंभ हुआ। तत्पश्चात् अन्य लिपियों में कार्य की शुरुआत हुई। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि कंप्यूटर की ‘शून्य’ और ‘एक’ संकेतों को समझने की अपनी एक स्वतंत्र गणितीय भाषा है, जिसे ‘मशीनी भाषा’ भी कहा जाता है। अतः कंप्यूटर को केवल एक ही भाषा के साथ संबद्ध किए जाने पर अन्य भाषाओं के साथ बेमानी होगी। अर्थात् तकनीकी रूप से कंप्यूटर सभी भाषाओं में काम करने में सक्षम है। आज विश्व भर में अनेक कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, मशीनी अनुवाद, और बोलकर लिखने, वार्तालाप संबंधी विभिन्न (अनुप्रयोग) एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं।

बढ़ रही आबादी और भाषा के फैलाव के कारण आज के युग में हिंदी कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण के साफ्टवेयरों का बहुत ही महत्व है। अंग्रेजी भाषा में तकनीकी के आविष्कार ने हिन्दी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी दशकों पीछे धकेला है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो निश्चित ही ‘हिन्दी’ को ‘संस्कृत’ बनने से कोई नहीं रोक सकता है।


आज के समय में हिंदी डिजिटलीकरण के मुख्य क्षेत्रों में शामिल है।

- भाषा सम्पादित,
- हिंदी वर्तनी जांचक,

- फॉन्ट परिवर्तक,
- लिपि परिवर्तक,
- अनुवादक,
- हिंदी टेक्स्ट को वाक् में बदलने का साफ्टवेयर,
- हिंदी में बोली गयी बात को हिंदी पाठ में बदलने वाला साफ्टवेयर,
- देवनागरी का ओसीआर,
- हिंदी के विविध प्रकार के शब्दकोश,
- हिंदी के विश्वकोश,
- हिंदी की ई-पुस्तकें,
- हिंदी में खोज,
- हिंदी में ईमेल आदि।

इतना सब होने के बाद भी आज मूलभूत काम हिन्दी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु मेरे दृष्टिकोण से हिन्दी माध्यम से कंप्यूटरीकरण में निम्न लिखित चुनौतियाँ हैं-

1. अंग्रेजी भाषा आधारित सिस्टम (द्विभाषिकता का अभाव)- आज के दौर में इंटरनेट पर सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सूचनाएँ उपलब्ध हैं जैसे परीक्षाओं के परिणाम, समाचार, ई-मेल, विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाएँ, साहित्य, अति महत्वपूर्ण जानकारी युक्त डिजिटल पुस्तकालय आदि। परन्तु ये प्रायः सभी अंग्रेजी भाषा में हैं। भारतीय परिवेश में अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा में निपुण नहीं हैं। अतः कई हिंदी भाषी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने में भाषाई कठिनाई महसूस करते हैं और कम्प्यूटर के उपलब्ध होते हुए भी वह कम्प्यूटर व इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर का संपूर्ण इंटरफेस हिंदी (देवनागरी लिपि) में होने के साथ-साथ इसमें वेबपृष्ठ के अंग्रेजी पाठ को माउस क्लिक के माध्यम से हिंदी में अनुवाद करने की सुविधा सहित हो तो अंग्रेजी भाषा की बाधा हिंदी भाषी कम्प्यूटर उपयोक्ताओं के काम में बाधा नहीं रहेगी। वेबपृष्ठ पर अनुवाद सुविधा कम्प्यूटर उपयोक्ताओं के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को उनकी अपनी ही भाषा में समझने में सहायक होगी।
2. मुझ जैसे करोड़ों हिंदी भाषी कम्प्यूटर उपयोक्ताओं को कम्प्यूटर के उपयोग में कई समस्याएँ सिर्फ अंग्रेजी भाषा में



अपनी कमजोरी होने की वजह से आती हैं, कंप्यूटर उपयोग करने में बिल्कुल आसान है।

3. आज भी भारत में साँफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज अंग्रेजी में ही अपनी जड़े जमाए हुए है। ना तो द्विभाषिक रूप (अंग्रेजी और हिंदी) में ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं और ना ही हिंदी में।
4. फॉन्ट की जानकारी का अभाव - लोगों को फॉन्ट की विवधता के बारे में भी पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं है। हालत यह है कि किसी संस्थान में नौकरी करने जाने पर ही इन साँफ्टवेयर के बारे में पता चलता है।
5. हिंदी टाईपिंग की समस्या - आज भी की-बोर्ड अंग्रेजी में ही उपलब्ध होते हैं। हिंदी टाईपिंग करने के लिए अंग्रेजी की-बोर्ड पर हिंदी की वर्णमाला चिपका दी जाती है। अब पहले तो वैसे ही आम कंप्यूटर उपयोक्ता को यूनिकोड का पता होता नहीं, आज भी हिंदी टाईपिंग के बारे में एक आम कंप्यूटर उपयोक्ता को यही मालूम है कि इसके लिए पहले हिंदी की टाईपिंग (रेमिंगटन) सीखनी होती है। फोनेटिक तथा इनस्क्रिप्ट प्रणालियों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है।
4. यूनिकोड के बारे में जागरुकता का अभाव - एक आम कंप्यूटर प्रयोक्ता को यूनिकोड के बारे में पता ही नहीं कि यह क्या है, इसके क्या फायदे हैं। यदि वह इस बारे जागरुक हो तो वह यूनिकोड समर्थन वाले ऑपरेटिंग सिस्टमों को

अपनाएगा। यूनिकोड के आगमन के बाद से बहुत से सॉफ्टवेयरों, साइटों तथा ऑनलाइन सेवाओं का यूनिकोडकरण शुरू हुआ। आज इनमें से अधिकतर यूनिकोड सक्षम हैं लेकिन अब भी अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सेवा में हिंदी टाइप करने लगते हैं तो डब्बे या प्रश्नचिन्ह(जंक कैरेक्टर) नजर आने लगते हैं अर्थात वह यूनिकोड का समर्थन नहीं करता। अब इनमें से कई जगह तो फिर हिंदी में टाइप करना असंभव ही हो जाता है लेकिन जहाँ पर फॉन्ट बदलने की सुविधा है वहाँ नॉन-यूनिकोड फॉन्ट जैसे कृतिदेव आदि चुनकर हिंदी टाइप की जा सकती है। यद्यपि इससे वह बात नहीं बनती जो यूनिकोड में है, इसमें डाटा-प्रोसेसिंग जैसे सर्चिंग-सॉर्टिंग आदि नहीं की जा सकती।

5. तकनीकी अज्ञान – अधिकतर व्यक्तियों को विंडोज आदि ऑपरेटिंग सिस्टम तक इंस्टाल करना नहीं आता। यदि वे चाहें तो भी कुछ कर नहीं सकते।
6. पुराना हार्डवेयर – कई कार्यालयों / प्रतिष्ठानों/ संस्थानों में अभी भी पुराने हार्डवेयर युक्त कंप्यूटर होते हैं जो कि नए ऑपरेटिंग सिस्टमों को चलाने के लिए सक्षम नहीं होते। यह एक प्रमुख कारण है।
7. सरकारी तंत्र का दुलमुल रवैया– हिन्दी भाषा के प्रति आज भी सरकारी तंत्र का रवैया बहुत उत्साह जनक नहीं है। हिन्दी भाषा के लिए आज जितने भी सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं कहीं न कहीं उनको सिर्फ अनुवाद तक ही सीमित किया जा रहा है। मशीन अनुवाद, कंठस्थ, ई-शब्दमहाकोश आदि इसके उदाहरण हैं।
8. स्कूली शिक्षा व्यवस्था – आज भारतीय जनमानस अपने बच्चों को शिक्षा के लिए काँवेंट विद्यालय में भेजते हैं। कथित काँवेंट अंग्रेजी विद्यालय ज्ञान के नाम पर विदेशी भाषा का अधिकचरा ज्ञान ही परोसते हैं। बच्चा न तो अपनी मातृभाषा में ही पारंगत हो पा रहा है और न ही विदेशी भाषा में ही। इसके जगह पर नकलची बन रहा है, विद्यालयी नकल प्रवृत्ति उसके पूरे जीवन में हावी रहती है फलतः मौलिकता नष्ट हो रही है।
9. हिन्दी के लिए दिखावा ज्यादा होना काम कम होना– जिनके कंधों पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है वे



संस्थान भी हिन्दी के लिए महज दिखावा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए गठित विभिन्न समितियां अब मीटिंग और ईटिंग तक ही सीमित रह गई हैं। वहाँ पर न तो सारगर्भित चर्चाएं होती हैं और न ही किसी कार्ययोजना पर ही चर्चा की जाती है। यह समितियां प्रेषित तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा करने तक ही सीमित रह गई हैं।

10. मातृभाषा के प्रति प्रेरणा, प्रेम का अभाव– आज व्यक्ति के पास मंगल ग्रह पर पहुंचने की तकनीकी उपलब्ध है परंतु कंप्यूटरों में हिन्दी में काम करना, उसके लिए तकनीकी की कमी है। यह कैसे संभव हो सकता है? यदि हमें हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम है, और हम काम करने के लिए प्रेरित हैं तो हम वह सभी काम कर सकते हैं जो अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि उपरोक्त चुनौतियां हमेशा के लिए हैं। मानव दिमाग के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अपनी समझ और चेतना के बल पर मानव मस्तिष्क ने बड़े- बड़े काम किए हैं और विकास की तरफ कदम बढ़ाया है। परंतु कुछ काम जो तुरंत किए जाने आवश्यक है वे निम्नवत हैं–

1. अब समय आ गया है कि हम खुद की भाषा में सॉफ्टवेयर विकसित करें। नकलची बनने से अच्छा है कि हम तकनीकी कामों के लिए मौलिकता को बढ़ावा दें। विभिन्न वेबसाइटों को भाषिक क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र विशेष की भाषा और हिन्दी में बनवाएं और यह सुविधा भी लागू करें कि उस क्षेत्र विशेष में खुलने वाली वेबसाइट, क्षेत्र विशेष की भाषा व हिन्दी भाषा में ही खुलें।

2. हिन्दी भाषा के जितने भी फॉट प्रारूप उपलब्ध हैं उनका प्रचार –प्रसार किया जाना चाहिए। प्रचार और प्रसार के लिए अलग रणनीति बनाकर आमजन तक इसे प्रसारित किया जाए। यहां हमें यह भी सोचना चाहिए कि इनका जितना प्रसार होगा उतना ही इनके परिमार्जन की संभावना है। अभी अगर कहीं कमी है तो जन जागरूकता के माध्यम से कमियों को दूर किया जा सकेगा।
 3. क्षेत्र 'क' में स्थित सभी कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटरों के लिए जब भी कुंजीपटल (कीबोर्ड) खरीदें जाएं तब यह ध्यान रखा जाए कि कुंजीपटल मूलतः हिन्दी में हों आवश्यकता होने पर उन पर क्षेत्रीय भाषाओं या फिर अंग्रेजी के कुंजीपटल चिपकाए जाएं। साथ ही फोनेटिक कुंजीपटल (की-बोर्ड) का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए।
 4. कार्यालय स्तर पर रखे गए सभी कंप्यूटरों को यूनिकोड आधारित (एनेबल्ड) रखा जाए। जिससे प्रेषित सभी सामग्रियां प्राप्त होने पर ठीक वैसे ही प्राप्त हों जैसा कि हमने भेजा है।
 5. सरकारी कार्यालयों को यह समझना चाहिए कि हिन्दी के लिए अब ढुलमुल रवैये को बदलना होगा। आखिर क्या कारण है कि आज दिनांक तक सभी कार्यालय अपने मूलभूत काम हिन्दी में करने में सक्षम नहीं हैं? जब तकनीकी ने इतना विकास कर लिया है कि पलक झपकते ही अंतरण कार्य, लेनदेन कार्य हो जा रहा है परंतु जब बात भाषा की आती है तो रवैया अभी भी ढुलमुल ही है। अनुवाद कार्य से बढ़कर आज हमें अनुवाद संस्कृति को ही खत्म करना होगा और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम अपना मूल काम हिन्दी में करने लग जाएं।
 6. हिन्दी के प्रति बढ़ रही हीन जनभावना से हमें छुटकारा दिलाना होगा। आज हिन्दी में बातचीत, काम को महत्व नहीं दिया जाता है। यहां तक कि हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए युवकों को नौकरी आदि में भी पीछे ही रखा जाता है। आज जनमानस 'भाषा' को 'माध्यम' न मानकर 'ज्ञान' मानने लगा है। वर्षों से यह सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर के लिए 'संस्कृत' भाषा सर्वोत्तम है और इस पर कुछ यूरोपीय देशों में अनुसंधान भी किया जा रहा है। आज जरूरत है कि यह सिर्फ सुनने के लिए ही न हो वरन इस पर ठोस काम हो और भाषा व तकनीकी के लिए काम कर रहे व्यक्तियों को इससे जोड़ा जाए।
 7. विभिन्न सरकारी मशीनरियों, समितियों को दिखावे की संस्कृति, पुरस्कार के होड़, मीटिंग-ईटिंग से ऊपर उठकर बैठकों में सारगर्भित चर्चा करने पर बल दिया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर ऐसी कई समितियां हैं जिनमें एक से अधिक क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, परंतु इन बैठकों को सिर्फ 'समीक्षा बैठक' तक सीमित किए जाने के कारण आपसी विचार-विमर्श भी नहीं हो पाता है। आज जरूरत है कि इस संस्कृति को बदला जाए।
 8. सबसे पहले और सबसे बड़ा समाधान यह है कि हिन्दी में उपलब्ध सभी तकनीकों का हम स्वयं उपयोग करें, कमियां उजागर करें, भाषा के स्तर को आमजन की भाषा बनाने में अपना योगदान दें।
 9. विभिन्न संस्थानों द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए बनाए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर हिन्दी में बनाए जाएं और इनका उपयोग सुनिश्चित करवाने के लिए चेकप्वाइंट बनाए जाएं। आखिर क्यों क्षेत्र 'क' में स्थित कंप्यूटरों में आज तक हिन्दी में काम न शुरू हो पाया?
 10. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आज ई-मेल पते को हिन्दी में भी बनाया जा रहा है, आज जरूरत है कि कुछ सरकारी विभागों को आदर्श विभाग मानकर ई-मेल पते को हिन्दी में बनाया जाए।
 11. हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले युवकों के 'ज्ञान' को 'माध्यम' के माध्यम से न जांचा जाए बल्कि 'ज्ञान' को किसी भी 'भाषा माध्यम' से जांचा जाए।
 12. सरकारी स्तर पर प्रचलित राजभाषायी नियमों, धाराओं, उपनियमों को जन जागृति बनाया जाए, जिससे आम जनमानस अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपनी भाषा में सेवाओं की मांग कर सकें। मांग होने पर सरकारी मशीनरी जागेगी, सरकारी मशीनरी जग गई तो रास्ते निकलेंगे।
- उपरोक्त के आलोक में यह कहा जा सकता है कि यदि आज के समय भारत में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों को हिंदी में भी उपलब्ध करा दिया जाए तो उनका सार्थक उपयोग होगा जिससे बैंकिंग कार्यों में डिजिटलीकरण हो सकेगी। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अपनी भाषा में काम करना अच्छा नहीं लगेगा?

‘आजादी का अमृत महोत्सव’: जन समर्थ पोर्टल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ‘आइकोनिक सप्ताह समारोह’ का उद्घाटन किया और क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ द्वार का शुभारंभ किया। ‘आइकोनिक वीक सेलिब्रेशन’ दिनांक 6 जून से 11 जून तक ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में मनाया गया है। जन समर्थ पोर्टल से सभी प्रकार की क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंकड रहेंगी। यह लाभार्थियों और क्रेडिटदाताओं को सीधे जोड़ने वाला भारत का पहला प्लेटफॉर्म होगा। यह पोर्टल विभिन्न सेक्टरों के समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा देगा।

जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाएं संबद्ध हैं। लाभार्थी डिजिटल तरीके से आसान स्टेप्स में अपनी पात्रता जांच सकते हैं, पात्र योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल मंजूरी भी पा सकते हैं। जन समर्थ पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। देश में यह अपने तरह का पहला प्लेटफॉर्म है, जो हितग्राहियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। जन समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मार्गदर्शन करके विभिन्न क्षेत्रों के समावेशी विकास और विकास को प्रोत्साहित करना है और बेहद आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सही प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि जन समर्थ पोर्टल सभी योजनाओं के अंत तक सुनिश्चित कवरेज करता है।

यह पोर्टल अलग-अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को एक साथ पेश करने वाला डिजिटल पोर्टल है। यह अपने आप में पहला ऐसा पोर्टल होगा जो लोन लेने के इच्छुक लोगों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। पीएम वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकोनिक वीक समारोह का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय द्वारा छह से 11 जून तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यह समारोह आयोजित किया गया। जन समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी योजनाओं को एक मंच पर लाकर उसका लाभ नागरिकों को देना है। इसके साथ ही सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान एवं सरल बनाना है। यह पोर्टल सभी लिंकड योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित



जकी इमाम
प्रबंधक (विधि)
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

करता है। केंद्र सरकार की 4 लोन श्रेणियों में 13 योजनाएं जन समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि 125 से ज्यादा कर्जदाता इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

दरअसल, आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के वितरण के लिए एक कॉमन पोर्टल ‘जन समर्थ’ शुरू करने की योजना बनाई है। सरकार ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ के दृष्टिकोण से नया पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें 15 क्रेडिट-लिंकड सरकारी योजनाओं को शामिल करने की योजना बन रही है। केंद्र की कुछ योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होती है, इसलिए धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है, जो पिछले 8 वर्षों में दोनों मंत्रालयों की यात्रा के बारे में बताएगी। इस अवसर पर पीएम मोदी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे। सिक्कों की इन विशेष श्रृंखलाओं में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के लोगों की थीम होगी और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा भी आसानी से पहचाना जा सकेगा। आपको बता दें कि देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और प्रत्येक स्थान को वर्चुअल मोड के माध्यम से मुख्य स्थल से जोड़ा गया था।

यहां एजुकेशन लोन के लिए 3 योजनाएं उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी जरूरत और पात्रता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। एग्री

इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए भी 3 योजनाएं हैं। बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए 6 योजनाएं, आजीविका ऋण के लिए योजना उपलब्ध है। आवेदन करने का तरीका भी बेहद सरल है। पहले आप अपनी पात्रता चेक कीजिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऑफर्स देखिए और चुने हुए बैंक से डिजिटली अनुमोदन मिल जाएगा। अपने आवेदन को स्थिति की सही जानकारी देख सकते हैं।

इस पोर्टल पर छडउछ, इनकम टैक्स, यूआईडीएआई आदि सरकारी एजेंसियां भी जुड़ी होंगी। इससे डेटा को जांचने में डिजिटल रूप से काफी आसानी होगी और कर्जदाताओं के लिए परेशानी कम हो सकेगी।

जन समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने का तरीका

वर्तमान में चार लोन श्रेणियां हैं और प्रत्येक लोन कैटेगरी के तहत कई योजनाएं सूचीबद्ध हैं। अपनी प्राथमिकता वाली लोन कैटेगरी के लिए, आपको पहले कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे आप अपनी पात्रता जांच सकेंगे। किसी योजना के लिए पात्र होने पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिससे डिजिटली अनुमोदन मिल सके।

कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

हर योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेज की जरूरत होती है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो साधारण दस्तावेज लगेंगे उनमें आधार नंबर, वोटर आईडी, पैन, बैंक स्टेटमेंट आदि शामिल हैं। आवेदक को पोर्टल पर कुछ साधारण सी जानकारी भी देनी होगी।

आवेदन कौन कर सकता है ?

कोई भी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। पहले, आपको अपने जरूरत की लोन श्रेणी में पात्रता जांचनी होगी और अगर आप पात्र हैं



तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अपना आवेदन कैसे देखें ?


आवेदक वेब पोर्टल पर लोन आवेदन का स्टेटस देख सकता है। पंजीकरण की जानकारी भरकर साइन-इन कीजिए, स्टेटस जानने के लिए डैशबोर्ड पर माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक कीजिए।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में अब वित्तीय समावेश में दिन प्रति दिन पारदर्शिता आ रही है। ये बात हमारे लिए काफी खुशी की है कि बैंकिंग सेक्टर के जरिये, जन समर्थ पोर्टल का अमली जामा मुमकिन होगा। इस तरह से देखा जाए तो हम किसी न किसी प्रकार देश की आर्थिक उन्नति में सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हैं और चलते रहेंगे।

**अमल से ज़िंदगी बदलती है जन्नत भी, जहन्नम भी
ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है इकबाल।**

जब आप किसी महान उद्देश्य या असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सभी विचार सीमा तोड़कर विराट रूप ले लेते हैं। आपका मस्तिष्क भौतिक सीमाओं को लाँघ जाता है, आपकी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और आप स्वयं को एक नई महान तथा रोमांचक दुनिया में पाते हैं। तमाम सुप्त शक्तियाँ, प्रतिभाएँ और योग्यताएं जाग जाती हैं तथा आप खुद को इतने बड़े इंसान के रूप में पाते हैं जितना कि आपने सपने में भी अपने बारे में नहीं सोचा होगा।

– पतंजलि



आत्मनिर्भर भारत - अवसर, चुनौतिया एवं सफलता

आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की असल शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में ही है, दूसरों से उधार लेकर अपना काम चलाने में नहीं। यदि कोई आत्मनिर्भर नहीं तो उसे हर जगह दूसरा दर्जा ही मिलता है, उसका कोई सम्मान नहीं रहता कई जगह तो तिरस्कृत भी होना पड़ता है। आत्मनिर्भर होना आज़ाद होने जैसा है और गुलामी किसे पसंद है।

उसी तरह एक आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है, क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है एवं अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होता है, वही अपने आप में सबसे सबल, प्रबल एवं समृद्ध होता है।

आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना। यदि हम खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तो इसके साथ ही साथ हम निश्चित तौर पर अपने राष्ट्र के विकास में भी अभूतपूर्व योगदान दे सकेंगे।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का भी यही सपना था कि भारत स्वदेशी चीजों को अपनाए तथा अपनी एवं अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अग्रसर रहें।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानि खुद को किसी और पर आश्रित न करना। विगत एक वर्ष से हमने देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान सारे विश्व में आम जन मानस के लिए खाने, पीने और रहने में परेशानी पैदा कर दी है। महामारी की इस संकट को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। यदि हम इतिहास पलट के देखे तो पाएंगे की भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है। ये और बात है की मानसिक, सामाजिक, राजनितिक त्रुटियों के कारण ये कभी उभर नहीं पाया।

हमें ये जानना होगा की आत्मनिर्भर शब्द नया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आस-पास के



अखिलेश शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद

बाजारों में ही बेचा जाता है, यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता की हो तो, अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे मालों से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाया जाता है तो हम उसे बोलचाल की आम भाषा में 'लोकल' सामग्री कहते हैं पर सत्य तो यही है कि ये आत्मनिर्भरता का ही एक महत्वपूर्ण प्रारूप है। कुटीर उद्योग, सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के ही कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह इत्यादि द्वारा बनाई गयी सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य हैं जो कि हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। इस प्रकार से हम अपने परिवार से समाज, समाज से क़स्बा, कसबे से गांव, गांव से सहर, एक दूसरे से जोड़कर देखे तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र के विकास में ही योगदान देते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखे तो हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। इससे हमलोग स्वयं के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में भी अपना योगदान दे सकते हैं, और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के सपने को मजबूत बनाने में अपना अहम सहयोग दे सकते हैं।

अवसर

हर किसी का सपना होता है कि वो आत्मनिर्भर बने और यह वास्तव में किसी भी व्यक्ति में सबसे अच्छा गुण कहा जा सकता है। महात्मा



बुद्ध भी तो अपने ज्ञान के सूत्रों में से एक सूत्र इस संसार में दिए हैं अप्प दीपो भवः अर्थात् अपना प्रकाश स्वयं बनो और एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमेशा जगमगाते रहो। इसी मूल सूत्र की तरह यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वह हर मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता है और मुसीबतों से खुद को आसानी से निकाल लेता है। हर व्यक्ति खुद में आत्मनिर्भर बनकर अपनी, अपने परिवार की और साथ-साथ में अपने देश के उत्थान में भी अपना पूरा सहयोग कर सकता है। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। स्वदेश में ही हर प्रकार के चीजों को बनाने और उसका उपयोग अपने जीवन में कर अपने राष्ट्र के निर्माण में मदद कर सकता है। ऐसा करना एक राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं, जो कि बिना किसी देश की मदद से जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की वस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरी तरह से साकार कर सकता है।

सारे विश्व के साथ-साथ भारत भी कोरोना की महामारी के दौर से गुजर ही रहा है, इसलिए इस विपदा में अवसर तलासने का मौका भी प्राप्त हुआ है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। इस महामारी के दौरान कुछ हद तक हमने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार भी किया है और बिना अन्य किसी देश की मदद से इस महामारी से लड़ने के लिए हमने देश में ही चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया है जो इस और बहुत अहम कदम है।

जहां हमने पीपीई किट, वेन्टिलेटर, सेनेटाइजर, एन-95 मास्क और तो और इस आपदा में संजीवनी साबित हो चुकी वैक्सीन का निर्माण भी अपने देश में ही शुरू कर दिया है। और ना केवल निर्माण भर तक

अब हमारा एक ही सपना,
आत्मनिर्भर हो भारत हमारा।

हम सिमित रहे हैं हमने तो स्वदेश में निर्मित वैक्सीन को कई देशों (छोटे- बड़े) को निर्यात भी किया है। पहले उपरोक्त यही चीजें हमें विदेशों से मंगानी पड़ती थी, उनके ऊपर आश्रित रहना पड़ता था। इन सभी चीजों का निर्माण भारत में करना ही ये दर्शाता है कि हम वाकई आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच कर सकते हैं। इनके उत्पादन से हमें अन्य देशों की मदद भी नहीं लेनी पड़ रही है, और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है।

चुनौतिया

कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और पस्त हो चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की जरूरत अब आन पड़ी है। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा याद आता है जब हमने सुना, पढ़ा और जाना की हमारी सरकार, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी है। और तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी का लोकल के लिए वोकल बनकर उसे ग्लोबल बनाने का सपना भी चुनौतियों को अवसर में बदलने का मूलमंत्र साबित हो रहा है। पर यह जितना सहज दिख रहा है, उतना ही जटिल भी है। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में अनेक कांटे और चुनौतियां हैं। सरकार को सबसे पहले उन चुनौतियों से दो-चार होना पड़ेगा तभी इस समाज में, भूमंडलीकरण के इस दौर में हम लोकल की स्वीकार्यता और व्यापकता को धरातल पर यथार्थ रूप से उतार सकते हैं।

कोरोना वायरस महामारी की मार वैसे तो सब पर पड़ी है, क्या शिक्षक, क्या विद्यार्थी, क्या मजदूर, क्या व्यवसाई, क्या निम्न - मध्यम - या उच्च वर्ग सब पे, कोई भी अछूता नहीं रहा है, पर सबसे

बड़ी मार किसानों पर पड़ती हुई दिख रही है। कोरोना काल के बाद प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को भी बहुत परेशानी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्व की अन्य दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था भी बेजार हो चुकी है। कोरोना महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था बदहाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सिस्टम में भी अभूतपूर्व बदलाव की आवश्यकता है और तो और हमारे देश में वीआईपी कल्चर और नौकरशाही के मकड़जाल में उलझ चुके बड़े बड़े कार्य को सुधारना भी बहुत गंभीर चुनौतियों में से एक है।

गौरतलब है कि हमारे देश में अनेक उपकरण, मशीनें और कच्चा माल आज भी विदेशों से आयात करना पड़ता है। अगर आयात की जाने वाली मशीनों को यहीं पर बनाया जाता है तो यहां बनाने वाले उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, महामारी के चलते देश का प्रवासी मजदूर बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांवों को चले गए हैं। ऐसे में अनेक उद्योग, कल- कारखाने बंद हो गए हैं। सभी मजदूरों को शहरों में फिर से वापस लाना सहज नहीं होगा। इसके लिए सरकार को बेहद सशक्त नीति बनानी पड़ेगी। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को लगाने के लिए युवा पीढ़ी की एक फौज तैयार करनी पड़ेगी जो कि कोई भी जोखिम उठाने की कुवत रखती हो और यह काम देश के गांव से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी से अधिक आबादी तो गांवों में ही बस्ती है। लेकिन उसके पहले गांवों में यातायात, बिजली, पानी और इंटरनेट की बुनियादी सुविधा के संसाधन को सशक्त करना होगा और साथ ही वहां कच्चे माल की उपलब्धता और निर्मित माल के लिए बाजार सुलभ कराना होगा, बिचौलियों से बचाना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कठिन जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अनवरत प्रयास करने से भारत आत्मनिर्भरता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है।

भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने में कुछ और भी निम्न चुनौतियां हैं जिनसे दो-चार होना जरूरी है:

- **लागत और गुणवत्ता :** भारत के स्वयं के उत्पादों में एक समस्या है जो सबसे बड़ी है। भारत के सामान निर्माण में यह देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है और उनकी लागत कम हो सकती है।
- **आर्थिक समस्या :** भारत में जनसंख्या और गरीबी दोनों ही एक साथ तेज गति से बढ़ रही है। किसी भी नये उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पूंजी, हालांकि भारत में कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसी भी नये उत्पादन या



व्यवसाय को चालू करने के लिए लोन मुहैया कराती है। परन्तु, शुरुआती समय में देश को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हमारी जनसंख्या का ठीक तरह से भरण पोषण करने में हम असमर्थ रहे हैं, हम अबतक अपनी जनसंख्या के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए ही जूझ रहे हैं।

- **आधारभूत ढांचा :** कई आर्थिक व व्यापार विशेषज्ञों की मानें तो उनके अनुसार, चीन से निकलने वाली कई अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ही भारतीय औद्योगिक क्षेत्र (विशेष कर तकनीक के संदर्भ में) में एक मजबूत आधार ढांचे के अभाव को माना जाता है। हमारी बहुत भारी जनसंख्या जो हमारी कमजोरी हो गई है अन्य देशों ने इसमें अवसर देख लिया है और बाहर की वस्तुओं का आयात ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें इस समस्या को भी सुधारने की जरूरत होगी।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रमुख पांच स्तम्भ जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं -

- **अर्थव्यवस्था :** वर्तमान की भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें परिवर्तन किया जाना संभव है। अर्थव्यवस्था ही एक ऐसा साधन है जो भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर मोड़ सकता है।
- **तकनीकी :** भारत में तकनीकी बहुत हद तक विकसित है और इसी तकनीक के चलते भारत विश्व शक्ति बनने का साहस रखता है। भारत की तकनीकी इसी का एक मुख्य अंग है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

- **इन्फ्रास्ट्रक्चर :** भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करेगा।
- **मांग :** भारत में कच्चे माल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है की हमें पड़ोसी देश पर निर्भर रहना पडता है। अगर हम कच्चे माल निर्माण भारत में करते है तो उस स्थिति में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेगा।
- **बढ़ती जनसंख्या :** भारत की जनसंख्या भी जंगल में आग की तरह फैल रही है, इस पर नियंत्रण भी जरूरी है।

अक्षर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो उस स्थिति में भारत को कई तरह के फायदे होंगे जो भारत को एक नई पहचान दिलाने में मदद करेंगे।

- **आत्मनिर्भर बनने के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे :** भारत में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आयात चीन या अन्य पड़ोसी देशों से किया जाता रहा है। अगर भारत का यह आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता है तो भारत को किसी अन्य देश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और भारत स्वयं ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा।
- **देश उद्योग में बढ़ोतरी :** भारत के आत्मनिर्भर बनने से भारत में कई तरह की वस्तुओं का निर्माण होगा और भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे। भारत उन वस्तुओं को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- **रोजगार के अवसर :** आत्मनिर्भर से भारत में देशी और घरेलू उद्योग बढ़ेंगे जिस वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश के कुशल और सक्षम लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। इससे देश के आर्थिक हालात भी सुधर सकेंगे।
- **गरीबी से मुक्त होगा :** देश में आत्मनिर्भरता से उद्योगों के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे देश में निश्चित रूप से गरीबी भी कम हो सकेगी।
- **पैसों की कमाई :** भारत के आत्मनिर्भर बनने से देश में व्यापार के अवसर तो बढ़ेंगे ही साथ ही इससे देश को अच्छी कमाई भी होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
- **आयात की जगह निर्यात बढ़ेगा :** भारत के आत्मनिर्भर बनने से पहले देश अब तक जिन वस्तुओं का आयात करता था

अब यदि भारत उसका निर्यात करने लगेगा तो देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ेगा।

- **आपदा के समय संकटमोचक बनेगा खजाना :** आत्मनिर्भर बनने से भारत में रोजगार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी जिससे संकट के समय वह धन देश की रक्षार्थ काम आ सकेगा आखिर देश का खजाना तो देशवासियों की ही खून पसीने की कमाई है और ये देशवासियों को ही सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के रूप में लौटाया जाता है।

एक सफल व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वह अपने कौशल को बढ़ाने का कोई भी मौका जाने नहीं देता और सदैव नया मौका ढूंढता रहता है। जिस युवाओं में कौशल के प्रति अगर आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो उसका जीवन ठहर सा जायेगा, जीवन में रुकावट आ जायेगी। एक प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन व व्यक्तित्व को बोझ सा बना देगा। खुद के लिए ही नहीं अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाएगा।

अतः अब वह समय आ गया है जब विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर महाभारत के अर्जुन की भांति लक्ष्य भेदन की दिशा में आगे बढ़ें। कौशल के प्रति आकर्षण जीवन जीने की वास्तविक ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। ज्ञान व कौशल केवल रोजी-रोटी और पैसे कमाने का जरिया मात्र नहीं है। जीने के लिए कौशल हमारी प्रेरणा बनता है। यह हमें नवीन ऊर्जा देने का काम करती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता राष्ट्र के नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को आत्मसात करते हुए स्वदेशी व कौशल के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। हमें हर हाल में वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ-साथ भारतीय व प्राचीन परंपरागत विभिन्न कौशल युक्त विधाओं को भी समन्वित रूप से साथ लेकर आगे बढ़ना होगा जिससे विकराल होती समस्या का उचित व उपयोगी समाधान मिल सके।

अतः अंत में कहा जा सकता है कि हम जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बढ़े हुए हैं जिस राष्ट्र का हमने खाया है, क्यों ना उस राष्ट्र का कर्ज हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में शामिल करें। तभी हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि हां मैं भारत का निवासी हूँ एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र देश का आत्मनिर्भर नागरिक हूँ।

जय जय है – जय हिंदी

सरल हिंदी

भाषा वही श्रेष्ठ मानी जाती है जिसे सरलता से समझा जा सके। भाषा को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें लचीलापन बना रहे। उसका व्याकरण ऐसा हो जो समय के साथ प्रचलित शब्दों को अपने शब्दकोश में सहजता से समाहित कर ले। निःसंदेह हिंदी एक ऐसी सशक्त भाषा है जिसका अपना एक बृहत शब्दकोश पहले से मौजूद है तथापि नये शब्दों को अपनाने से उसे कोई परहेज नहीं है। राजभाषा हिंदी को प्रचारित-प्रसारित किए जाने की चर्चा करते समय अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए। हिंदी भाषा के प्रयोग में क्लिष्टता से बचा जाए और आम बोल-चाल की भाषा को अपनाया जाए। लेकिन सरल भाषा को अपनाने के नाम पर उसकी मूलभूत अवधारणा को चोट पहुंचाना कहां तक सही माना जा सकता है। भाषा को सरल या कठिन के दायरे में बांधा नहीं जा सकता है। कोई भी शब्द सरल या कठिन नहीं होता बल्कि परिचित या अपरिचित अथवा प्रचलित या अप्रचलित हो सकता है।

वर्षों से हिंदी में दूसरी भाषाओं के कुछ शब्द इस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि वे हिंदी के अपने शब्द हैं या दूसरी भाषाओं से अपनाए हुए विदेशज या आवक शब्द। हिंदी शब्द खुद भी हिंदी का न होकर फारसी से आया हुआ शब्द है। कुछ ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए लेकिन हिंदी में इस प्रकार रच-बस गए कि उनकी विदेशज या आवक शब्द होने का एहसास ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जापानी भाषा से रिक्शा, सुनामी; तुर्की भाषा से कैची, चाकू, बंदूक, कुर्ता; चीनी भाषा से लीची, चाय; पुर्तगाली भाषा से अलमारी, आलू, बटन; पर्शियन भाषा से ताज़ा, दिमाग, गुलाब; फ्रांसीसी भाषा से पर्यावरण; पश्तो भाषा से गुंडा आदि शब्द लिए गए हैं।

हिंदी को शब्द संपदा संस्कृत से विरासत में मिली है जो आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और इतिहास तक की शब्दावलियां बनाने में पूरी तरह सक्षम है। किसी भी सशक्त भाषा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह बाहर से आए शब्दों को अपने अंदर इस प्रकार समाहित कर ले कि परायेपन का अनुभव ही न हो। हिंदी भाषी प्रदेशों में आम बोलचाल में रिजर्वेशन (आरक्षण), वोट (मतदान), वैक्सिन (टीका) जैसे तमाम शब्द हैं जिनके हिंदी पर्याय मौजूद होने के बावजूद ये शब्द अधिक प्रचलित हैं और हिंदी भाषियों के बीच



ऊर्जा श्रीवास्तव
प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य दिल्ली

मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग एक अनपढ़ व्यक्ति, जिसे न हिंदी भाषा का औपचारिक ज्ञान है न अंग्रेज़ी भाषा का, वह भी धड़ल्ले से कर रहा है।


चूंकि भाषा सुनने और पढ़ने से सीखी जाती है और एक बहुत बड़ा जनसमुदाय अपने पूर्वजों से जिन शब्दों को सुनता आता है उसी से अधिकतम उसकी शब्दावली बनती है। निरंतर प्रयोग में आने वाले प्रचलित शब्द इस प्रकार रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वे अपनी भाषा के शब्द हैं या किसी दूसरी भाषा से आए आगत शब्द।

हिंदी में विदेशज शब्दों के आसानी से घुलमिल जाने का श्रेय देवनागरी लिपि को भी जाता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता दूसरी भाषा से आए शब्दों को हिंदी में लिखने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। भाषाविदों का मानना है कि उस लिपि को वैज्ञानिक माना जा सकता है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो, एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे, मात्रा एवं वर्णचिह्नों में भिन्नता हो, लेखन और उच्चारण में एकरूपता हो और सरल एवं सुस्पष्ट हो। देवनागरी लिपि में ये सभी गुण विद्यमान हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है।

हर भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी वाक्य रचना कई प्रकार की होती है – सरल वाक्य रचना, मिश्र वाक्य रचना और संयुक्त वाक्य रचना। सरल वाक्य रचना में वाक्य छोटे होते हैं वहीं संयुक्त या मिश्र वाक्य रचना में दो या अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। निश्चित रूप से सरल वाक्य रचना वाली भाषा सरल, सहज और

बोधगम्य होती है। जब हिंदी पढ़ाने की शुरुआत की जाती है तो पहले सरल वाक्य रचना ही सिखाई जाती है ताकि विद्यार्थी का भाषा से तारतम्य स्थापित हो जाए। जब सरल हिंदी को अपनाने की बात की जाती है तो हमें उच्चारण के आधार पर शब्दों को सरल या कठिन मानते हुए वाक्य बनाने के स्थान पर सरल वाक्य रचना पर ध्यान देना चाहिए। सरल हिंदी को बढ़ावा देते समय यह ज़रूरी है कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर भाषा और शब्दों के प्रयोग पर विचार करें। हिंदी के अनिवार्य शब्द के लिए अंग्रेज़ी में मैन्डेट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय में अधिकतम लोगों को अनिवार्य शब्द कठिन लगेगा, जबकि ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से मैन्डेट्री और अनिवार्य में से मैन्डेट्री के सही उच्चारण में जीभ को अधिक उठापटक करनी होती है। इसी प्रकार यदि अंग्रेज़ी में लिखा हो “Kindly refer to your letter dated ...” तो उसकी हिन्दी होगी – कृपया दिनांक ... के अपने पत्र का संदर्भ लें। यहां सरल हिंदी की तरफदारी करने वालों का कहना है कि संदर्भ की जगह सीधे-सीधे देखें लिखा जाए तो हिंदी सरल हो जाएगी। यदि यह सही है तो अंग्रेज़ी में भी शषशी की जक्षह see your letter... का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि see और refer के भाव अलग-अलग हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी संदर्भ और देखें का भाव अलग-अलग है। सरल भाषा से तात्पर्य है कि वाक्य रचना के समय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो लोकप्रिय और अधिक प्रचलित हों। उदाहरण के लिए कृषकों के लिए ऋण योजना बनायी गयी है और यह कार्य समय पर समाप्त किया जाए वाक्यों में ‘कृषकों’ की जगह ‘किसानों’ और ‘कार्य’ की जगह ‘काम’ शब्द का प्रयोग सरलता लाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये शब्द अधिक प्रचलित हैं।

सरल भाषा के नाम पर अस्वाभाविक रूप से दूसरी भाषा के शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाना सही नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी के use शब्द के लिए हिंदी में उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल जैसे शब्द मौजूद हैं, लेकिन अधिकतम लोग हिंदी वाक्य में भी use शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन भाषा को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे-धीरे भाषा अपने वास्तविक स्वरूप को खोने लगती है। सरल हिंदी के नाम पर हिंदी के वाक्यों में अंग्रेज़ी के शब्द जैसे – थैंक्यू, टाइम, ऑफिस, कस्टमर, शॉपिंग, लगेज, बेड आदि बहुतायत में प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि इनके हिंदी शब्द हमारे पास पहले से मौजूद हैं – धन्यवाद, समय, कार्यालय, ग्राहक, खरीददारी, सामान, चारपाई आदि। जिन अंग्रेज़ी शब्दों का हिंदी शब्द मौजूद नहीं है उनके स्थान पर अंग्रेज़ी के उसी शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा जाना उचित माना जा सकता है। शब्दों की उत्पत्ति



देश-काल-संस्कृति पर आधारित होती है। लड्डू को अंग्रेज़ी में स्वीट बॉल्स लिखने पर लड्डू की विशेषता समाप्त हो जाती है। स्वीट बॉल तो किसी भी गोलाकार और मीठी चीज़ को कहा जा सकता है। इसी प्रकार के क का हिंदीकरण नहीं किया

जा सकता, उसे केक के रूप में ही अपनाया जाना उचित है। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते समय, या लचीली और सरल भाषा के नाम पर हिंदी की वाक्यरचना में अटपटापन नहीं आना चाहिए।

अहिंदी-भाषियों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सरल वाक्यों के प्रयोग पर बल दिया जाना उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। भाषा के सरल होने के साथ-साथ उसकी सर्वग्राह्यता और स्वाभाविकता में कमी नहीं आनी चाहिए। इंटरनेट के लिए अंतर्जाल और माउस के लिए चूहा का प्रयोग करना भाषा की स्वाभाविकता को समाप्त कर देता है। अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती शब्दों का हिंदीकरण किया जाना भाषा के सहज प्रवाह को रोकता है। अनुवाद करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्रोत भाषा के शब्दों का सटीक स्थानापन्न लक्ष्य भाषा के किस शब्द से किया जा सकता है। यदि पहले से कोई शब्द विद्यमान नहीं है तो क्या नया शब्द लक्ष्य भाषा में गढ़ा जा सकता है या फिर मूल भाषा के शब्द को वैसे ही अपना लिया जाना उचित रहेगा? इनमें से किसी भी रूप को अपनाते समय भाषा की सहजता और प्रवाह पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

भूमंडलीकरण के दौर में शब्दों का लेनदेन तेज़ी से बढ़ा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन शब्दों को अपनाते समय यह प्रयास होना चाहिए कि दूसरी भाषा के संज्ञा शब्दों को ही ज्यों का त्यों अपनाया जाए, वह भी तब जब उसका उपयुक्त हिंदी पर्याय पहले से मौजूद न हो। भाषा की अस्मिता बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्दों को सहेजना ज़रूरी है। भाषा की मूल अवधारणा तब ही सुरक्षित रह सकेगी जब उसके शब्दों को सुरक्षित रखा जाएगा।


कार्यक्षेत्र में उचित शारीरिक मुद्रा और व्यवहार

शारीरिक मुद्रा कार्यस्थल पर कई महत्वपूर्ण संदेशों को संप्रेषित कर सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, शारीरिक मुद्रा किसी की रुचि या फोकस के स्तर को बताती है। यदि कोई आपसे आँख मिलाता है, बोलते समय सिर हिलाता है या बात करते समय आपकी ओर झुकता है, तो आप पर उनका पूरा ध्यान होने की संभावना है। व्यक्ति की शारीरिक भाषा पढ़ना उस व्यक्ति के दिमाग को पढ़ना नहीं है, यह उन लोगों की छिपी भावनाओं को ध्यान से देखना है जिनके साथ हम काम करते हैं। शोध में पाया गया है कि हमारा अधिकांश संचार अशाब्दिक है जहां 65 से 90% अशाब्दिक संचार हमारे शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और आवाज के स्वर के माध्यम से आता है।

कई अलग-अलग प्रकार के अशाब्दिक संचार या शरीर की मुद्रा में शामिल हैं :

- चेहरे के हाव-भाव
- शरीर की गति और मुद्रा
- इशारे
- आँख से संपर्क
- स्पर्श
- आवाज़

मुस्कुराना



एक मुस्कान किसी के गैर-मौखिक संचार का पहला हिस्सा है। इसमें प्रेम, कटाक्ष या शिष्टाचार जैसे अलग-अलग स्वर हैं। मुस्कुराहट आपके कर्मचारियों को सहज महसूस करने में मदद करती है और एक सकारात्मक वातावरण बनाती है जिससे बेहतर कार्य वातावरण बन सकता है।



रवनीत सिंह
प्रबंधक
अध्ययन व विकास केंद्र, चंडीगढ़

मुस्कुराना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। मुस्कुराने की क्रिया हमारे शरीर में तनाव और उद्वेग को कम करती है। तनाव में कमी, हृदय और कोशिका के कामकाज को बेहतर ढंग से नियंत्रित करती है, जिससे हमारा शरीर थकान, बीमारी और बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है।

आम धारणा के विपरीत, मुस्कुराना वास्तव में समर्पण के संकेत के रूप में देखा जाता है। विनम्र लोग नेताओं पर यह दिखाने के लिए अधिक मुस्कुराते हैं कि वे सहमत हैं और उनकी स्थिति के लिए खतरा नहीं होगा। हालाँकि, नेतृत्व करने वाले लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं क्योंकि उनकी शक्ति लोगों को उनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए पर्याप्त है। महिलाओं को, विशेष रूप से, सावधान रहने की जरूरत है कि वे ओवर-स्माइल न करें, क्योंकि यह उन्हें एक विनम्र स्थिति में डाल देता है। शोध में पाया गया है कि महिलाएं 87 प्रतिशत सामाजिक मुलाकातों के समय मुस्कुराती हैं, जबकि पुरुष केवल 67 प्रतिशत ही मुस्कुराते हैं।

एक वास्तविक हंसी जो अशाब्दिक रूप से कहती है, आप जो भी मजाक करते हैं, वह मजाकिया है। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ!

दूसरी ओर, बाँस एक अजीब सा मजाक कर अधीनस्थों को हंसा सकते हैं। लेकिन अगर वे अपने अधीनस्थों के चुटकुलों पर नहीं हंसते हैं, तो यह उच्च स्थिति का संकेत देता है। इसलिए श्रेष्ठता की एक डिग्री बनाए रखने के लिए, प्रबंधक और बाँस दूसरों को हंसा सकते हैं लेकिन खुद हंस नहीं सकते।

सुझाव :

1. अच्छे वक्ता बने क्योंकि दूसरों की तुलना में वक्ता, उत्साह, संदेह, सहानुभूति, विडंबना, संदेह, विश्वास, प्रोत्साहन, सावधानी और हास्य का संचार करने में लगभग 40% बेहतर पाए गए हैं।
2. एक मुस्कान दो लोगों के बीच मनमुटाव को तोड़ने में भी और बेहतर संचार में भी मदद करती है।

आँख से संपर्क

आँख से संपर्क बनाना एक बातचीत के समान है; यह दो व्यक्तियों के बीच चर्चा व संवाद स्थापित करता है।



आँख का संपर्क ज्यादातर मामलों में ध्यान का संकेत देता है, यदि कोई आपके साथ आँखों के संपर्क के प्रगाढ़ स्तर को बनाए रखता है, तो यह एक संकेत है कि वे अपना ध्यान आप पर केंद्रित करते हैं।

कार्यस्थल की बैठकों व आम बातचीत और नौकरी के साक्षात्कार में आँखों का संपर्क बनाए रखना सम्मान का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है। यह एक शक्तिशाली प्रस्तुति तकनीक भी है: यदि आप बोल रहे हैं, तो आँख से संपर्क यह इंगित करने में मदद करता है कि आप दर्शकों का ध्यान चाहते हैं, और यह लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सुझाव :

1. शुरुआत में आँख से संपर्क स्थापित करें। किसी से बात करने से पहले आँख से संपर्क करें।
2. 50/70 नियम का प्रयोग करें। बोलते समय 50% और सुनते समय 70% समय आँख से संपर्क बनाए रखें।
3. अपने श्रोताओं को सहज और स्वाभाविक रखने के लिए, कहीं और देखने से पहले लगभग 5 सेकंड के लिए संपर्क बनाए रखें। फिर से संपर्क स्थापित करने से पहले कुछ सेकंड के लिए धीरे-धीरे अपने श्रोता की ओर देखें।

4. लगातार संपर्क ना बनाए, यह करने पर ऐसा लग सकता है कि आप घूर रहे हैं और डराने वाले हो सकते हैं।

लिप पर्सिंग (होंठों को एक रेखा में दबाना)



लिप पर्सिंग तब होती है जब होंठ एक रेखा में एक साथ मिला देते हैं या जब हम अपने होंठों को दबाने की चेष्टा करते हैं। लोग अवचेतन रूप से ऐसा तब करते हैं जब वे अपने दिमाग में कुछ विचारों को साझा करने से बचने या रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम अपने होंठों को बंद कर लेते हैं या तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टोक दिये जाते हैं या सोचते हैं कि हमें वह नहीं कहना चाहिए जो वास्तव में हमारे दिमाग में है।

कार्य-क्षेत्र में यह आमतौर पर अकसर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहने में संकोचित हो, कुछ ऐसा देखता या सुनता हो जिसे वह पसंद नहीं करता हो या अपने सच्चे विचारों को बताने से डर जाता हो।

सुझाव :

1. सुनिश्चित करें कि व्यक्ति को अपने विचार साझा करने के लिए एक सुरक्षित अवस्थिति दी जाए।
2. ध्यान दें कि, हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति से उपलब्ध सभी जानकारी नहीं मिल रही हो और जब तक आपको सही जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक उस व्यक्ति से पूछते रहें।

क्रोध

अनिवार्य रूप से, कार्यस्थल में किसी प्रकार का टकराव हो सकता है, विशेष रूप से समय की कमी के कारण और अत्यधिक काम के दबाव के कारण। इसे जानने के लिए दो अशाब्दिक सुराग हैं:

1. चिन जटिंग (Chin Jutting) : एक गुस्सेल ठोड़ी वाला मुँह
2. युद्ध की मुद्रा : अपने कूल्हों हाथ रखकर और पैरों को फैला कर व्यापक रूप से लड़ाई का रुख धारण करना



ये दोनों संकेत क्रोध का संकेत देते हैं।

चिन जटिंग (Chin Jutting) तब होती है जब कोई अपनी टुड्डी को बाहर निकालता है। बॉक्सर सहज रूप से संभावित नॉकआउट से बचने के लिए अपनी टुड्डी की रक्षा करते हैं – कार्यालय में, लोग अपनी टुड्डी को बाहर हिला या निकाल कर सांकेतिक रूप से उच्च आत्मविश्वास का परमाण देते हैं, जैसे कि कह रहे हों, मेरे पास आओ!

युद्ध की मुद्रा अपनाते हुए कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र में उनकी जगह स्थापित होने व अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए इसका बार बार उपयोग करता है।

सुझाव :

1. यदि कोई तनावपूर्ण विषय सामने आता है और आपको चिन जटिंग दिखाई देता है या कोई व्यक्ति युद्ध की मुद्रा में चला जाता है, तो समझें कि विषय को बदलने, आश्वासन देने या ब्रेक लेने का समय आ गया है।


स्पर्श

हाथ पर हल्का सा स्पर्श किसी से सहायता प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। एक अध्ययन में, जिन छात्रों ने एक शिक्षक से अपनी बांह की पीठ पर एक कोमल स्पर्श प्राप्त किया, वे शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्येक कक्षा कार्य को करने में स्वेच्छा से भाग लेते पाए गए।

इसी तरह, यदि आपके पास कोई आगामी परियोजना है और आपको एक स्वयंसेवक की आवश्यकता है, तो किसी व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए कहने से पहले थोड़ा सुरक्षित स्पर्श देना सुनिश्चित करें।

सुझाव :

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 विषय पर आधारित हमारे



प्रधान कार्यालय द्वारा कई परिपत्र निकाले जा चुके हैं जो महिला कर्मचारियों के प्रति पुरुष कर्मचारियों के व्यवहार को तय कर, एक शारीरिक और व्यवहारिक सीमाओं को परिभाषित करते हैं और महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए जाने में सहायक होंगे।

2. कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना उनकी पीठ थपथपा कर और कुछ अवसरों पर उन्हें सकारात्मक स्पर्श प्रदान करके भी की जा सकती है ताकि कर्मचारियों में विश्वास पैदा किया जा सके।

अशिष्ट शारीरिक भाषा

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ लोग शारीरिक भाषा को कुछ अलग तरीके से समझते और प्रयोग करते हैं या कई बार कतई नहीं समझते या प्रयोग करते, उनके इशारों और चेहरे के भावों (या उनकी कमी) की व्याख्या यदि सामान्य शारीरिक भाषा के अनुसार की जाये तो कई बार गलतफहमी और गलत व्याख्या कर दी जाती है, उदाहरण के लिए:-

- घुटनों पर हाथ : तत्परता इंगित करता है।
- कूल्हों पर हाथ : अधीरता इंगित करता है।
- अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को बांधना : स्वयं पर नियंत्रण इंगित करता है।
- सिर के पीछे हाथ बांधना : विश्वास को इंगित करता है।
- एक पैर कुर्सी की बांह के ऊपर रखते हुए बैठना : उदासीनता इंगित करता है।
- पैरों और पगों को एक निश्चित दिशा में रखना : वो दिशा जिसके लिए सबसे ज्यादा रूचि महसूस की जाती है।
- बंधी हुई भुजाएं : अधीनता को इंगित करता है।



यद्यपि स्वस्थ व सकारात्मक शारीरिक भाषा, कार्यस्थल में टीम भावना को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ा सकती है, जिम्मेदारियों का निस्तारण आसान कर यह सहयोगियों के लिए सम्मान व्यक्त करने और संघर्ष के समाधान में भी मदद कर सकती है। कॉर्पोरेट बैठकों के दौरान, कोई व्यक्ति सकारात्मक शारीरिक भाषा का उपयोग करके रुचि, स्वागत और आनंद प्रदर्शित कर सकता है। वह कोमल मुस्कान, आगे की ओर झुकी हुई खुली हथेलियाँ और आँख से संपर्क द्वारा बैठक में किसी अन्य व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है और इस तरह एक बैठक में अन्य लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है।

नेकी का फल

एक दिन एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो सड़क के किनारे फंसी हुई थी, लेकिन दिन के मंद प्रकाश में भी, वह देख पाया कि उस औरत को मदद की ज़रूरत है। इसलिए, वह अपनी गाड़ी से उतरकर उस मर्सिडीज़ बेंस कार के पास जाकर खड़ा हो गया जिसके अंदर वह औरत सिकुड़के बैठी थी। उस आदमी के चहरे पर उमड़ आई मुस्कराहट के बावजूद वह औरत बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। घंटों बीत जाने के बाद भी किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उस आदमी ने पाया कि उस ठिठुरती हुई ठंड में वह औरत अकेली थी और काफी भयभीत भी थी। उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वह किस कदर डरी हुई थी। उस आदमी ने कहा मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहां आया हूँ, मैडम। क्यों न आप गाड़ी में इंतज़ार कर लेतीं, जहां आपको अधिक आराम महसूस होगा। वैसे तो मेरा नाम है एंडी। टायर का पंचर हो जाना एक बूढ़ी औरत के लिए तो कोई कम परेशानी की बात नहीं थी। एंडी उस कार के नीचे जाकर जगह तलाशने लगा ताकि वह जैक बिठा सके। वह जल्दी ही कार का टायर बिठाने में सफल हो गया। इस काम को करते-करते उसके दोनों ही हाथ गंदे हो गए और हाथों में चोट भी आयी। उसका काम खत्म ही होने जा रहा था कि उस औरत ने अंदर से ही कार की खिड़की खोली और उससे से बात करने लगी। उस औरत ने बताया कि वह संत लूइज़ की रहने वाली है और बस वह यहां से गुज़र रही थी। एंडी ने खुशी-खुशी अपना काम खत्म कर दिया। उस औरत ने पूछा कि इस काम के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। एंडी ने तो पैसे पाने की चाह से उस औरत की मदद नहीं की थी। उसने तो एक ज़रूरतमंद औरत की मदद की थी और उसे इस बात की याद थी कि अतीत में ऐसे कई अवसर आए थे जब उसने अन्य से मदद ली थी। उसने औरत से कहा कि यदि वास्तव में वह उसे कुछ देना चाहती है तो वह उस व्यक्ति की मदद करना न भूले जिसे मदद की सख्त ज़रूरत हो। उस समय मुझे ज़रूर याद कर लेना। वह तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वह औरत उसकी आंखों से ओझल न हो गई।

भचेजन करने के मन से उस औरत ने पास के एक रेस्टोरेंट के पास अपनी कार रोक दी। वेट्रेस ने आकर औरत के गीले बालों को पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया। उसके चहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उस औरत ने गौर किया कि वह वेट्रेस आठ महीने की गर्भवती थी, लेकिन तनाव और थकावट के बावजूद उसने कार्य के प्रति अपने उत्साह और उमंग को कम होने नहीं दिया। उसकी यह लगन देखकर वह औरत काफी प्रभावित हुई। उसे एंडी द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। जब तक वेट्रेस एक सौ डॉलर का चेंज लाती, वह औरत अपने रास्ते चली गई। वेट्रेस सोच में पड़ गई कि आखिर वह औरत कहां गायब हो गई? तब उसने गौर किया कि नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ है। उस औरत द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़कर उस वेट्रेस की आंखें गीली हो गईं। उसमें लिखा था- आपको मुझे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैंने आपकी मदद की, वैसे ही किसी ने एक दिन मेरी मदद की थी। यदि आपको सचमुच मुझे पैसे लौटाना है तो ऐसा करना कि यह प्यार का सिलसिला जारी रखना और इसे टूटने न देना। उस नैपकिन के नीचे 100 डॉलर के और चार नोट थे। काम खत्म करके घर लौटने के बाद वह वेट्रेस उन पैसों और उस औरत द्वारा लिखी गई बातों में खो सी गई। उसे तसल्ली हो गई कि नेकी से किए गए काम का फल भी मीठा होता है।

स्वाधीन भारत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्वप्न

भारत अपनी आजादी का 75 वें स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में भारत ने हर मोर्चे पर विकास किया है। भारत आज दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी जगह बनाई, उसी के साथ भारत ने अपने देश की गणतंत्रीय व्यवस्था को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। स्वाधीनता प्राप्त के समय 14 अगस्त की रात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए अपने अविस्मरणीय भाषण में भारतीय जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि बरसों पहले हमने नियति के साथ एक करार किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपना वादा पूरा करेंगे। आधी रात ठीक बारह के घंटे के साथ, जब दुनिया सोती है भारत ज़िंदगी और आजादी के लिए जगेगा। कभी ऐसे पल भी आते हैं, जब हम पुराने युग से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से कुचली हुई आत्मा अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। उचित यह है कि इस शुभ अवसर पर भारत, उसकी जनता और संपूर्ण मानवता की सेवा में समर्पित होने की हम कसम खाएँ, आज दुर्भाग्य के एक युग का हमने अंत कर दिया है और भारत ने फिर से अपनी पहचान हासिल कर ली है।

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपरोक्त ऐतिहासिक वक्तव्य के द्वारा राष्ट्र के सभी निवासियों के भीतर एक नया उत्साह भरा, यह क्षण हमें मुफ्त में नहीं प्राप्त हुआ, वरन इसके लिए करीब दो सौ वर्षों का कठिन संघर्ष एवं बलिदान है। देश को आजादी पश्चात आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ खड़ी थी। उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थतंत्र और समाज को बर्बाद कर दिया था। 20 वीं सदी के पहले पाँच दशकों (1901 से 1947 तक) के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर था और इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.9% थी।

आजादी के तुरंत बाद भारत ने अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अनेक कदम उठाएँ, सर्वजन हिताय की भावना के साथ एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त थी। उस नीति के तहत भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक



मिहिर कुमार मिश्र
प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम

एक सशक्त क्षेत्रक होगा, एवं निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। देश सतत विकास के पथ पर अग्रसर हो इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई जो पंचवर्षीय योजनाओं को सही रूप से क्रियाव्यवस्था करने हेतु खाका तैयार कर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया।

भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम बढ़ाया जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न संकट से मुक्ति एवं देश के भीतर मूलभूत संरचना का विकास करना रहा। इस योजना में प्राप्ति लक्ष्यों से अधिक रहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर विशेष जोर दिया। वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का स्वरूप पी सी महालनोबिस के विकास मॉडल से काफी प्रभावित था, इस मॉडल की एक और विशेषता रहीं जिसमें विकास और समानता मुख्य केंद्र रहा। अतः उद्योग और खेती में सकेन्द्रण और वितरण पर बहुत गहराई से ध्यान दिया गया हालांकि इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस मॉडल में यह माना गया कि उच्चतर विकास से समानता के उच्चतर स्तरों तक पहुंचा जा सकता है, साथ ही इसे गरीबी से निबटने के लिए आवश्यक समझा गया, परिणामस्वरूप तेज विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अवस्था तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, साथ ही राष्ट्रीय आय, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, अवसर की समानता, आदि महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये लेकिन लक्ष्य के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसके

प्रमुख कारण 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ना था। 1965-66 में देश में सूखा पड़ा। सन 1966 से 1969 तक की अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति

जहाँ पाँचवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता रहा, तो छठी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने एक वर्ष पूर्व ही योजना को समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी थी, इस योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया, इस अनवरत योजना के प्रथम चरण के रूप में 1 अप्रैल 1978 से पाँच वर्षों के लिए छठी योजना प्रारंभ की गई किंतु अगले सरकार ने इसे आने के साथ ही समाप्त कर नई छठी योजना पुनः (1980-85) के लिए बनाई जिसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादकता को बढ़ाना मुख्य रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, आदि।

उपर्युक्त योजनाओं का मूल्यांकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि योजनाओं के लक्ष्य : संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता रहा। संवृद्धि से तात्पर्य देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक संवृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) में निरंतर वृद्धि है। जी.डी.पी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ये क्षेत्रक - कृषि, औद्योगिक एवं सेवा। इन क्षेत्रों से ही अर्थव्यवस्था का ढाँचा तैयार होता है। दूसरा कारक आधुनिकीकरण रहा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है जिसे आधुनिकीकरण कहते हैं जो केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही न सीमित होकर सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। हमारी प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया गया जिसका अर्थ है कि हम सभी मामलों में आत्मनिर्भर हो, विशेषकर उन चीजों में जिसका हम आयात करते हैं, शुरूआत के योजनाओं में खाद्यान्न के मामलों को ज्यादा ध्यान दिया गया। समानता से अभिप्राय यह है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को



भी सुलभ हो, अर्थात् सभी भारतीयों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होनी चाहिए।

स्वाधीन भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर हमने हरित क्रांति के द्वारा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, जिससे न केवल खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई बल्कि किसानों की दशा एवं परंपरागत कृषि में सुधार आया। छठे दशक के मध्य में शुरू की गई इस क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता अमरीकी कृषि वैज्ञानिक डॉ. नोरमान ई. बोरलॉग एवं डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को संयुक्त रूप से जाता है। उन्होंने ऊँची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के द्वारा यह प्रयोग किया जो भारत जैसे देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ।

विकास के पथ पर अग्रसर भारत के समक्ष सन 1991 में विदेशी ऋण के भुगतान की संकट आ गई, उस समय पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व पंद्रह दिनों के लिए भी नहीं था, तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए भारत ने आर्थिक सुधारों एवं ढाँचागत पुनर्गठन का रास्ता अपनाया जिसे आर्थिक क्रांति कहा गया। तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रण में जकड़ी, अंतर्मुखी और सुधार की लंबित आवश्यकताओं से जूझ रही थी जिसे वित्तीय सुधार; व्यापार तथा औद्योगिक नियंत्रणों का उदारीकरण जैसे आयात आसान बनाना, औद्योगिक लाइसेंसिंग का सरलीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण, आदि के द्वारा विश्वव्यापी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप परिवर्तन किये गये, जिसके परिणामस्वरूप 8वीं से 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च आर्थिक वृद्धि और 2005 से 2015 तक गरीबी में पर्याप्त कमी दर्ज की गई।

सतत, समावेशी एवं आत्मनिर्भर आर्थिक नीति कायम करने हेतु 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक ढाँचा में बड़े बदलाव किये जिसमें 01 जवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर एक क्रांतिकारी पहल की गई जिसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को

स्थान दिया गया। समय के साथ योजना आयोग अप्रासंगिक हो चुकी थी। आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तन समय की मांग थी, हमारे संविधान की भी यही मूल भावना है कि आर्थिक नीति का लाभ समाज के निचले पायदान तक मिलें।

किसी राष्ट्र की आर्थिकसमृद्धि उसकी प्रगति और विकास का अभिन्न हिस्सा होती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ वैश्वीकरण और विश्व एकीकरण विश्व के आर्थिक परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं। हमारे बुनियादी आर्थिक ढाँचे को भी समयानुसार बदलना आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने दूरगामी लक्ष्य को साधने हेतु मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 को की, इस अभियान के द्वारा देश-दुनिया के सभी निर्माताओं को भारत में बनाओ के लिए आमंत्रित किया गया जिसके माध्यम से विदेशी निवेशकों सहित भारतीय बाजार का लाभ उठाने के लिए विदेशी कंपनियों को इस मुहिम से जोड़ना है। इस मुहिम को तेज करने के लिए आवश्यक ढाँचागत संरचना में परिवर्तनकिये जा रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सतत विकास किसी भी राष्ट्र के सतत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। इन अभियान के बदौलत, हमारी अर्थव्यवस्था में समृद्धि देने वाली नई प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही है जो एक शुभ संकेत है। इससे होनेवाले लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मील के पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया एक और महत्वपूर्ण कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि

21 वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाएँ। संकट को एक अवसर में बदलने की बात कहते हुए उन्होंने पीपीई किट और एन-95 मास्क का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनका भारत में उत्पादन लगभग नगण्य से बढ़कर 2-2 लाख पीस प्रतिदिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भूमंडलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो वह आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ हैं : अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, उत्साहशील आबादी और मांग, साथ ही उन्होंने लोकल (स्थानीय) विनिर्माण, बाजार एवं आपूर्ति श्रृंखला को विशेष बल दिया। लोकल उत्पादों का गर्व से प्रचार करने एवं इसे वैश्विक बनाने में मदद करें।



स्वाधीनता के बाद भारत की आर्थिक गाथा का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि हमारी आर्थिक यात्रा आसान नहीं रही है, हमने बहुत सारे चुनौतियाँ को पार किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना आसान नहीं है लेकिन हमने समय के साथ अपनी नीति को परिवर्तन कर दुनिया के समक्ष अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। भारत की युवा जनसंख्या उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राणवायु है उसे सही ढंग से कौशल विकास कर उसका सही रूप से दोहन कर सकते हैं। समग्रता से आजादी के पूर्व की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा, परिणामतः हम सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर होते रहे, स्वाधीनता पश्चात इन दोनों ही क्षेत्रों में नेतृत्व ने काफी काम किया है इससे हमारा देश सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में अग्रसर है एवं शीघ्र ही समाज के सभी अंगों के सहयोग से हमारा देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी सशक्त रूप में उभरेगा जिसमें आर्थिक पक्ष की भूमिका अहम होगी। आर्थिक महाशक्ति की दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण पहल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जी एस टी की शुरुआत एक साकारात्मक पहल है साथ ही सतत विकास की गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। आर्थिक विकास की इस विशद यात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आधारभूत संरचना पर किए गए कार्य, लाल बहादुरशास्त्री के समय की गई हरित क्रांति, 19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में किए गए आर्थिक उदारीकरण, आदि ऐतिहासिक पहल है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस कड़ी के महत्वपूर्ण आयाम है। इसी का परिणाम है कि आज भारत को अग्रणी राष्ट्र एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखता है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अग्रसर है और उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। इन सभी परिदृश्यों से प्रतीत होता है कि 21 वीं सदी भारत की सदी होगी, जो पूर्ण रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर होगा।

आयकर : वर्तमान परिपेक्ष्य में

आयकर का नाम सुनते ही सामान्य जन के मन मष्तिस्क में जो सबसे प्रमुख बात उभरती है वह यह कि हमारी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा मुफ्त में हमें सरकार को देनी पड़ेगी और जिसके बदले हमें उन्हीं सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो 'कर' न देने वाले को भी मिलता है। परंतु अगर हम 'कर' के बारे में सकारात्मक बात करें तो हमें कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में जाना पड़ेगा जिसमें इस महाकाव्य के रचयिता ने कहा था कि जिस प्रकार सूर्य जमीन से नमी को सोखकर उससे हज़ारों गुणा अधिक बारिश कराता है, ठीक उसी प्रकार राजा कर लेकर अपने प्रजा को सुख-सुविधा प्रदान करता है।

वैश्विक संदर्भ में देखें तो सबसे पहले ग्रीस, जर्मन व रोमन सम्राज्य में चल/अचल सम्पत्ति पर कराधान व्यवस्था लागू हुई थी। हलांकि भारत में कराधान की विधिवत वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है जिसे मौर्यों ने अपने शासन की व्यवस्था में लागू किया। इसने व्यापार व वाणिज्य पर कराधान; चीन, श्रीलंका (तब के सिलोन) और वियतनाम से आयातित सामान पर कराधान की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा नर्तक, संगीतकार जैसे कलाकारों पर भी 'कर' लगाया गया था।

आधुनिक काल में भारत में 'कर' व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1860 में 'कर' प्रणाली लागू की गई, तब से कुछ सुधार के साथ यह प्रणाली चलती रही। आज़ादी के बाद 'कर' व्यवस्था में वृहत सुधार किया गया जिसका श्रेय श्री आर जे चेल्लैय्या को जाता है। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। इन्हें 'कर' सुधार का जनक कहा जाता है।

आयकर क्या है:- जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वार्षिक आय पर लगने वाला कर आयकर है। वर्तमान में इसकी गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है अर्थात् 1 अप्रैल से लेकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि 31 मार्च के बीच में किसी भी स्रोत से होने वाले आय पर लगने वाला कर आयकर होता है। मुख्य रूप से आय के पांच स्रोत हैं:-

1. वेतन से प्राप्त आय
2. गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय



रवि कुमार सिन्हा
प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, हैदराबाद

3. व्यापार/पेशा से आय
4. केपिटल गेन से प्राप्त आय
5. अन्य स्रोतों से प्राप्त आय

1. वेतन से प्राप्त आय:- इसके अंतर्गत मूल वेतन तथा पे स्लीप में स्थाई प्रकृति के भत्ते आते हैं। इसके अलावा अग्रिम वेतन, पेंशन, कमीशन, वार्षिक बोनस, इंडिक्टी आदि से प्राप्त आय शामिल होते हैं। जबतक की आयकर अधिनियम 1961 की किसी धारा के अंतर्गत छुट प्रदान न की गई हो। कर योग्य राशि की गणना हेतु वेतन के साथ मिलने वाला आवास किराया भत्ता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

- 1) वास्तविक रूप से प्राप्त आवास किराया भत्ता
- 2) मेट्रो शहर में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा मूल वेतन+महंगाई भत्ता का 50% (गैर मेट्रो शहर में 40%)
- 3) वेतन के 10% से कम भुगतान किया गया वास्तविक मकान किराया उपरोक्त तीनों में से जो सबसे कम हो वह छूट के लिए पात्र होता है।

इसी प्रकार एल एफ सी तथा पी एल नकदीकरण पूर्ण राशी करयोग्य होते हैं जबकि एल एफ सी के दौरान टिकट आदि पर खर्च किए गए राशि के लिए किया गया प्रतिपूर्ति कर योग्य नहीं होती है।

अक्षर हम पार्किजिट की बात करें तो पार्किजिट वह आय है जो सीधे तौर पर हमारे पास तो नहीं आता परंतु वह किसी न किसी रूप से हमारे आय को प्रभावित करता है। जैसे सामान्य ब्याज दर से कम ब्याज दर

अथवा शून्य ब्याज दर पर ऋण- जैसे त्यौहार अग्रिम, बैंक कर्मचारियों को मिलने वाला आवास ऋण इत्यादि। इस व्यवस्था के कारण जो सकल ब्याज का लाभ होता है वह पार्किजिट आय है। साथ ही म्युचुअल फण्ड/शेयर आदि से प्राप्त नोशनल आय, जिसे हमेशा वित्तीय वर्ष के 31 मार्च पर गणना की जाती है, पार्किजिट है।

2. गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय:- आयकर अधिनियम-1961 की धारा 22 से 27 गृह सम्पत्ति के कराधान से सम्बंधित है। घर के किराए से प्राप्त आय भी कराधान के अंतर्गत आता है। उक्त सम्पत्ति पर भुगतान किया गया सम्पत्ति कर को घटा करके उसमें से रख- रखाव के लिए 30% घटाया जाता है। उसके बाद जो बचता है वह गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय कहलाता है। अगर वह सम्पत्ति किसी ऋण से लिया गया है तो उसपर देय ब्याज से आय का समायोजन किया जाता है।

3. व्यापार तथा पेशा से प्राप्त आय: व्यापार से निवल आय की गणना करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में एक नई धारा का समावेश किया है - धारा 44AD. प्रायः यह छोटे व्यापारियों के लिए है। इसके अंतर्गत दो वर्ग निर्धारित किए गए हैं। जैसे व्यापारी जिनका सकल टर्न ओवर (कुल बिक्री) बैंक के माध्यम से होता है तो उन्हें सकल टर्न ओवर का 6% निवल आय दिखाना पड़ता है जबकि नकद में काम करने वाले को 8% आय दिखाना पड़ता है। अगर किसी व्यापारी को 6%/8% लाभ नहीं हो रहा हो तो उन्हें अपने लेखा का परिक्षण किसी सनदी लेखाकार से कराना पड़ता है तथा उन्हें फॉर्म 3CB-CD दाखिल करना पड़ता है। लेखा-परिक्षक लाभ-हानि खाता बनाकर यह निर्धारित करते हैं कि उक्त व्यापारी का सकल लाभ 6%/8% से कम है। अन्य व्यापारी जिनका कुल बिक्री लेखा-परिक्षा के दायरे में है वे तुलन पत्र, कैपिटल एकाउंट, ट्रेडिंग एकाउंट, लाभ-हानि तथा नकद प्रवाह विवरणी बनाकर ITR-III दाखिल करते हैं।

शिक्षक, लेखाकार, डॉक्टर, ब्यूटिशियन, कोचिंग संचालक, कर सहायक, वास्तुकला विशेषज्ञ आदि पेशा के श्रेणी में आते हैं। इन्हें धारा 44DA के अंतर्गत अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। आयकर अधिनियम कि इस धारा के तहत इनके कुल आय का 50% कर योग्य आय माना जाता है। अगर कोई ऐसा करदाता यह दावा करे कि उनका निवल आय 50% से कम है तो उन्हें अपने लेखा को सनदी लेखाकार से परिक्षण कराना होता है। फिर लेखा-परिक्षक अपने ऑडिट रिपोर्ट में यह सत्यापित करते हैं कि अमुख करदाता का निवल आय 50% से कम है।

4. कैपिटल गेन से प्राप्त आय:- कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं- दीर्घावधि कैपिटल गेन और अल्पावधि कैपिटल गेन। जब कोई

चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री उसके खरीदे जाने के तिथि से 12 महीने के भीतर हो जाए, तो उसे अल्पावधि कैपिटल गेन कहते हैं जबकि किसी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री उसके खरीदे जाने के तिथि से 12 महीने के बाद की जाए तो उसे दीर्घावधि कैपिटल गेन कहते हैं। समान्यतः अल्पावधि कैपिटल गेन पर 15% तथा दीर्घावधि कैपिटल गेन पर 10% आयकर लगता है। लेकिन दीर्घावधि कैपिटल गेन में 60 वर्ष से कम के करदाता को 1,00,000. तक की छूट दी जाती है जबकि 60 से 80 वर्ष के करदाता को तीन लाख की छूट दी जाती है तथा 80 से उपर के उम्र वाले करदाता को दीर्घावधि कैपिटल गेन में 5,00,000.00 तक की छूट दी जाती है।

आल सम्पत्ति की बिक्री पर करदाता को चाहिए कि वो किसी भी बैंक में एक कैपिटल गेन एकाउंट खुलवा ले तथा बिक्री से प्राप्त राशि को उसमें रखें एवं सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में उसे अन्य अचल सम्पत्ति में निवेश कर दें अन्यथा उस पर कैपिटल गेन की गणना कर 'कर' का भुगतान करें।

5. अन्य स्रोतों से प्राप्त आय :- इसके अंतर्गत मियादि जमा, बचत खाता तथा आवर्ती जमा से प्राप्त ब्याज, डिविडेंड आदि शामिल है। यहाँ यह चर्चा करना आवश्यक है कि बचत खाता से प्राप्त आय आयकर की धारा 80TTA के तहत 10,000/- तक करमुक्त है जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की धारा 80TTB के तहत 50,000/- तक की आय कर से मुक्त है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

विभिन्न छूट :-

आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अधीन विभिन्न छूट का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

80C:जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि (पीएफ) में योगदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर की सदस्यता आदि के संबंध में कटौती। कटौती की सीमा धारा 80सीसीसी और धारा 80सीसीडी(1) के साथ 1.5 लाख रुपये है।

80CCC:कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती। धारा 80सी और धारा 80सीसीडी(1) के साथ कटौती की सीमा 1.5 लाख रुपये है।

80CCD(1): केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती - एक कर्मचारी के मामले में, वेतन का 10 प्रतिशत (बेसिक + डीए) और किसी भी अन्य मामले में, एक वित्तीय वर्ष में उसकी

सकल कुल आय का 20 प्रतिशत होगा। 80सी और 80सीसीसी को मिलाकर कुल सीमा 1.5 लाख रुपये है।

80CCD(1B): केंद्र सरकार (एनपीएस) की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में 50,000 रुपये तक की कटौती।

80CCD(2): नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती। नियोक्ता द्वारा 14 प्रतिशत योगदान पर 'कर' लाभ दिया जाता है, जहां ऐसा योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और जहां किसी अन्य नियोक्ता द्वारा योगदान किया जाता है, वहां 10 प्रतिशत पर 'कर' लाभ दिया जाता है।

80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये तक के प्रीमियम का भुगतान कटौती के लिए पात्र है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीमा 50,000 रुपये है और धारा 80डी के तहत कुल सीमा 1 लाख रुपये है।

80DD: जो विकलांग व्यक्ति है उनके आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित रखरखाव के संबंध में कटौती। इस धारा के तहत अधिकतम कटौती सीमा 75,000 रुपये है।

80DDB: किसी न्यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से निर्दिष्ट बीमारी के चिकित्सा उपचार पर 40,000 रुपये तक खर्च के संबंध में कटौती, जबकी वरिष्ठ नागरिकों के ऐसे बीमारी के उपचार में किए गए खर्च के लिए 1,00,000.00 तक के छूट का प्रावधान है।

80E: बिना किसी ऊपरी सीमा के उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती।

80EE: आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर 50,000 रुपये तक के ब्याज की कटौती।

80EE: कुछ गृह संपत्ति (क्रिफायती आवास पर) हेतु लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज की कटौती।

80EEB: इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज की कटौती।

80G: कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दान।

80GG: जिन्हें एचआरए का लाभ नहीं मिलता है अथवा गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती। कटौती की सीमा 5,000 रुपये प्रति माह या एक वर्ष में कुल आय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।



80GG: वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में पूर्ण कटौती।

80GGC: राजनीतिक दल को दिए गए दान के संबंध में पूर्ण कटौती, बशर्ते ऐसे दान गैर-नकद दान हों।

80TT: निवासी वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य करदाताओं के मामले में बचत बैंक खातों पर ब्याज के संबंध में 10,000 रुपये तक की कटौती।

80TTB: निवासी वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 50,000 रुपये तक की जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती।

80U: विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती। विकलांगता के प्रकार और सीमा के आधार पर इस धारा के तहत अनुमत अधिकतम कटौती 1.25 लाख रुपये है।

महत्वपूर्ण वेबसाईट

Income Tax : www.incometax.gov.in
NSDL : www.tin-nsdl.com
TIN : www.tin-nsdl.com
Traces : <https://contents.tdscpc.gov.in/>
IT refund status : <https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html>



संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 17.05.2022 को रुद्रप्रयाग शाखा के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान माननीय सांसदों के साथ हमारे बैंक के कार्यपालक एवं अधिकारीगण।



संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 13.04.2022 को कुल्लू शाखा के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान माननीय सांसदों के साथ हमारे बैंक के कार्यपालक एवं अधिकारीगण।

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

केनरा स्वर्ण ऋण के साथ अपने सपनों को करें साकार



अपनी वित्तीय ज़रूरतें जल्द और
आसानी से पूरी करें

कम और आकर्षक
ब्याज दर



5 आकर्षक ऋण ऑफ़र !!
1 सरल समाधान !!



शीघ्र मंजूरी
के लिए
बस इसे स्कैन करें



केनरा
आवास ऋण



केनरा
वाहन ऋण



केनरा
स्वर्ण ऋण



केनरा
व्यक्तिगत ऋण



केनरा
शिक्षा ऋण

** शर्तें लागू

www.canarabank.com

1800 425 0018



canarabank



canarabankofficial



canarabankinsta